यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

84 वाँ वर्ष

राष्ट्र के
विश्वास के नाम

यूको अंगिका

भागलपुर अंचल की गृह पत्रिका

वर्ष : 7, अंक : 2 : : अक्टूबर 25 - मार्च 26

राजभाषा
मेरा गौरव मेरा अभिमान

हिंदी
लिखें. पढ़ें. बोलें. गर्व करें.

यूको बैंक

अंचल कार्यालय, भागलपुर को वर्ष 2024-25 का क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार - प्रथम

20 फरवरी 2026 को अगरतला में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले एवं अंचल प्रमुख श्री राजकुमार

20 फरवरी 2026 को अगरतला में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक के स्टॉल पर आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले , अंचल प्रमुख श्री राजकुमार के साथ-साथ उपस्थित सभी यूको जन

यूको अंगिका

भागलपुर अंचल की गृह पत्रिका
वर्ष 7 , अंक : 2
अक्टूबर 25 - मार्च 26

संरक्षण

राजकुमार, अंचल प्रमुख

परामर्श एवं सहयोग

अमरजीत सिंह , उप अंचल प्रमुख
सचिन कुमार यादव, मुख्य प्रबंधक
स्तुति कुमारी ,मुख्य प्रबंधक
अमन गर्ग , मुख्य प्रबंधक
शैलेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक

संपादन

सुभाष चंद्र साह, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
सम्राट सिंह , प्रबंधक

रूपांकन

चिराग, सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी

संपादकीय पता

यूको बैंक
अंचल कार्यालय,भागलपुर
एस. के. तरफदार रोड , आदमपुर ,
भागलपुर (बिहार) – 812001
zobhagalpur.ol@uco.bank.in

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं.
1	विषय - सूची	1
2	माननीय प्रधानमंत्री का विश्व हिंदी दिवस संदेश	2
3	अंचल प्रमुख का संदेश	3
4	संपादकीय	4
5	एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र : आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव	5-6
6	सोशल मीडिया एवं डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं की भूमिका	7 – 11
7	भारतीय कृषि : वर्तमान एवं भविष्य	12-16
8	भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान	17-20
9	डिजिटलीकरण के युग में भाषाओं की भूमिका	21-24
10	सैन्य भूमि से बैंक शाखा तक	25
11	वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का महत्व	26-28
12	भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी बीमा कंपनियों का योगदान	29-31
13	थोड़ा रूक भी जाओ	32-34
14	काव्यांगन	35-36
15	मिट्टी के गौरव	37
16	राजभाषा जागरूकता	38-39
17	श्रेष्ठ कार्यनिष्पादक शाखाएं	40
18	विविध गतिविधियां	41-43
19	पत्रं - पुष्पम्	44

इस पत्रिका में व्यक्त किए गए विचार रचनाकारों के हैं। यूको बैंक या संपादक मंडल का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय एवं विदेशों में स्थित भारतीय मिशन और केन्द्रों द्वारा विविध कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। इन आयोजनों से जुड़े सभी आयोजकों, प्रतिभागियों और हिन्दी प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

भारत की भाषाई समृद्धि पर हर भारतवंशी को गर्व है। अपने प्रवासी भारतीय साथियों को मैं राष्ट्रदूत के रूप में देखता हूं और जहां-जहां भारतवंशी हैं, वहां हिन्दी भारत की आत्मा के स्वर के रूप में संवाद, जुड़ाव और सांस्कृतिक आत्मीयता का माध्यम बनती है। हिन्दी केवल एक भाषा मात्र नहीं, बल्कि भारत की संवेदना, संस्कार और चिंतन को विश्व तक पहुंचाने वाली सशक्त कड़ी है।

भारत की निरंतर प्रगति और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के साथ हमारी भाषाओं, परंपराओं और जीवन-दर्शन के प्रति दुनिया की रुचि निरंतर बढ़ रही है। यह देखना सुखद है कि विदेशों में हिन्दी सीखने, पढ़ाने और शोध करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे हिन्दी वैश्विक संवाद की भाषा के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।

अपनी सरलता, सहजता और विपुल साहित्यिक विरासत के साथ हिन्दी आज सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल माध्यमों और आधुनिक तकनीक की भाषा के रूप में निरंतर सशक्त हो रही है। युवा पीढ़ी द्वारा हिन्दी को नवाचार, रचनात्मक अभिव्यक्ति और आधुनिक संवाद के माध्यम के रूप में अपनाया जाना इसके उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

मुझे विश्वास है कि विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम सभी भारतवंशियों, विशेषकर युवाओं को, हिन्दी के साथ गहराई से जुड़ने, इसे अपने कार्य और जीवन में अपनाने और वैश्विक मंच पर इसकी गरिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे।

हिन्दी को समृद्ध और सशक्त बनाने में निरंतर योगदान दे रहे सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं, विशेषकर विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और केन्द्रों के सभी सहयोगियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
पौष 16, शक संवत् 1947
06 जनवरी, 2026

अंचल प्रमुख का संदेश

भागलपुर अंचल के सभी प्रिय यूकोजन,

भागलपुर अंचल की गृह पत्रिका "यूको अंगिका" के माध्यम से आप सभी से पुन: संवाद करते हुए मुझे असीम हर्ष की अनुभूति हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के परिणाम हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक एवं संतोषजनक रहे हैं। हमारे अंचल ने कई क्षेत्रों जैसे बचत जमा राशि, चालू जमा राशि, कासा, एमएसएमई ऋण एवं कृषि ऋण आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है। डिजिटल ऋण, वसूली, बैंकाश्योरेंस एवं डिजिटल बैंकिंग में भी हमारा प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उपलब्धियों से भरा वित्तीय वर्ष 2025-26 आप सभी के समर्पित प्रयासों का प्रतिफल है,जिसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई।

उपलब्धियों से हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उत्कृष्टता को प्राप्त करने के साथ उस स्तर को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपने दायित्वों का पालन श्रेष्ठता के स्तर पर करना है। इस वर्ष भी हमारी प्राथमिकताओं में कासा,रिटेल,कृषि एवं एमएसएमई ऋण शामिल हैं। ऋण फोर्टफोलियो में संवृद्धि करने के दौरान हमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना होगा। सतत् निगरानी के माध्यम से जहां आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा ताकि आस्ति एनपीए में परिणत नहीं हो, वहीं वसूली प्रक्रिया को मजबूत कर सघन अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से एनपीए को न्यूनतम स्तर पर लाना होगा। इसके साथ कासा का अंश बढ़ाने के लिए हमें नए उपाय करने होंगे। ग्राहकों को वैकल्पिक डिलवरी चैनल के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी हो गया है। आस्ति एवं देयता दोनों क्षेत्रों में डिजिटल व्यवसाय को बढ़ाना है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रथम शर्त है। हमें बैंकिंग अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है।

आप जानते हैं कि राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए भागलपुर अंचल को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय राजभाषा पुस्कार - प्रथम प्राप्त हुआ है। मैं इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी स्टाफ सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। अब श्रेष्ठता के इस स्तर को संभालने का वक्त आ गया है। इस वर्ष हिंदी पत्राचार प्रोत्साहन योजना में अधिक से अधिक स्टाफ सदस्य भाग लें। बैंकिंग कार्य राजभाषा हिंदी में संपादित कर हम भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता चरितार्थ करें, यही अपेक्षा है।

आइए ! हम 'चरैवेति चरैवेति' का मंत्र धारण कर अपने कर्तव्य पथ पर समर्पित होकर अविचल रहें।

वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुभकामनाओं सहित,

(राजकुमार)

संपादकीय

प्रिय साथियो,

भागलपुर अंचल की पत्रिका 'यूको अंगिका' का अक्टूबर 25 – मार्च 26 अंक आप सभी को समर्पित करते हुए मुझे परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। 'यूको अंगिका' पत्रिका भागलपुर अंचल का दर्पण है एवं कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा व साहित्यिक अभिरूचि की पहचान भी है। हमें खुशी है कि इस अंक को भागलपुर के यूकोजनों से प्राप्त विविधतापूर्ण रचनाओं एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों से सजाया गया है।

यह हर्ष एवं गौरव का विषय है कि राजभाषा के क्षेत्र में हमारे अंचल एवं यहां के कार्मिकों को उपलब्धियां हासिल हुई हैं। हमारे लिए खुशी का पल है कि हमारे अंचल को राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2024-25 का क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार— प्रथम प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 20 फरवरी 2026 को अगरतला में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर - कमलों से माननीय कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले एवं अंचल प्रमुख श्री राजकुमार ने ग्रहण किया। इसके अलावा नराकास के स्तर पर हमारे स्टाफ सदस्यों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। इस अवसर ने हमें अपने उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ- साथ आगे के लिए अधिक उत्तरदायी,जागरूक एवं चैतन्य बनाया है।

आइए ! हम सभी मिलकर हिंदी में इस तरह कार्य करें ताकि अनुकूल एवं प्रेरक परिवेश का सृजन हो, जिससे भागलपुर अंचल में राजभाषा हिंदी की अविरल धारा सहजता से प्रवाहित हो एवं हमारा अंचल राष्ट्रीय क्षितिज पर श्रेष्ठ अंचल के रूप में सम्मान प्राप्त कर सके। हम इन पंक्तियों को सदैव याद रखें –

सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा।
वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा ।।

मैं उन सभी स्टाफ सदस्यों,रचनाकारों,विद्वज्जनों तथा मनीषियों को आभार एवं कृतज्ञता का पुष्प अर्पित करता हूँ, जिनसे इस पत्रिका के प्रकाशन में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सहयोग मिला है। पत्रिका को और अधिक सारगर्भित एवं सुरूचिपूर्ण बनाने के लिए आपके मूल्यवान सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

(सुभाष चंद्र साह)

एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र: आत्मनिर्भर भारत की मजबूत

अमन गर्ग
मुख्य प्रबंधक
एसएमई एवं कृषि हब ,भागलपुर

भारत की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आधार दो प्रमुख स्तंभों पर टिका है - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा कृषि क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन में अग्रणी हैं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता एवं समावेशी विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों के विकास में वित्तीय सहयोग प्रदान कर एक सेतु का कार्य करता है।

एमएसएमई क्षेत्र: विकास का इंजन

एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का "विकास का इंजन" कहा जाता है। आज भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में इनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि इन्हें आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक रीढ़ कहना बिल्कुल उचित है। यह क्षेत्र कई दृष्टियों से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- निर्यात को बढ़ावा देता है।
- यह समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
- यह बड़े उद्योगों का पूरक है।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है।
- ग्रामीण विकास को सशक्त करता है।
- महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन

हालिया अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र का जीडीपी में लगभग 30% व निर्यात में 45% से अधिक का योगदान है। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेवाओं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योग सदियों से पारंपरिक कौशल के रूप में मौजूद हैं। हाल ही में, ग्रामीण उद्यमिता एक गतिशील अवधारणा के रूप में उभरी है।

ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों का विकास मूल रूप से अनछुए प्राकृतिक और मानव संसाधनों के उचित उपयोग और क्षेत्र में मौजूद विशाल सामग्री के दोहन पर निर्भर करता है। ग्रामीण औद्योगीकरण की विशेषताएं पूंजी का कम निवेश, श्रम गहनता और स्थानीय मानव और भौतिक संसाधनों का नियोजन व सरल प्रौद्योगिकी का उपयोग है। एमएसएमई इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय के लिए मुखर हों (बी वोकल फॉर लोकल) को बढ़ावा देता है।

बैंकिंग दृष्टिकोण से, एमएसएमई को समय पर सुलभ ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न योजनाओं जैसे पीएमईजीपी एवं मुद्रा योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा बिना गारंटी के ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

- वित्त की कमी
- वित्तीय साक्षरता की कमी
- उचित दस्तावेजों का अभाव
- बाजार में प्रतिस्पर्धा
- तकनीक का अभाव

एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सभी हितधारकों यथा – सरकार,विनियामकों, वित्तीय क्षेत्र एवं व्यापार संघ आदि द्वारा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। बैंकिंग प्रणाली की ओर से

निम्नांकित पर ध्यान देना अपेक्षित होगा। -

बैंकों की भूमिका

- डिजिटल ऋण प्रक्रिया को बढ़ावा देना
- ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना
- समय-समय पर ऋण पुनर्गठन की सुविधा देना
- ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाना

कृषि क्षेत्र: भारत की जीवन रेखा

कृषि क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की आत्मा है। यह भारतीय सभ्यता की रीढ़ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही है। यह लाखों परिवारों का भरण-पोषण करती है और राष्ट्र की पहचान को आकार देती है। भारत में कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आज भी लगभग 60% से ज़्यादा ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है। यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल कार्यबल का लगभग 54.6% कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है, और यह क्षेत्र देश के सकल मूल्य वर्धन में 17.8% का योगदान देता है। इस क्षेत्र ने 2024 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान दिया है।

भारत विश्व का 11.6% खाद्यान्न उत्पादित करता है, लेकिन इसकी फसल पैदावार दर अन्य शीर्ष उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है। यह संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 12.41% प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि-खाद्य निर्यात भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% था। पीआईबी के अनुसार अगस्त 2025 तक खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2013-14 के 246.42 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 353.96 मिलियन टन हो गया।

उपर्युक्त आंकड़े आजादी के बाद भारतीय कृषि की उपलब्धियों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकृष्ट करते हैं,किंतु इन उपलब्धियों के बावजूद भारतीय कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जिस स्तर तक उसे पहुँचना था।

चुनौतियाँ

- पूंजी का अभाव
- तकनीक /यंत्रीकरण की कमी
- मौसम पर निर्भरता
- आय में अनिश्चितता
- ऋण चुकाने की क्षमता में अस्थिरता

समाधान

- तकनीकी सहायता एवं डिजिटल कृषि को बढ़ावा
- फसल बीमा का अधिकतम कवरेज
- किसानों के लिए वित्तीय परामर्श सेवाएँ

बैंक इस क्षेत्र में फसल ऋण, कृषि यंत्रों के लिए वित्त, एवं सहायक गतिविधियों जैसे डेयरी, मत्स्य पालन आदि में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
बैंक केवल वित्त उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक सलाहकार एवं मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं।

निष्कर्ष

एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति के आधार स्तंभ हैं। यदि इन क्षेत्रों को सशक्त किया जाए, तो "आत्मनिर्भर भारत" का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र का दायित्व है कि वह इन क्षेत्रों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करे।

आइए ! हम सभी एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र के माध्यम से समग्र विकास करते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं श्रेष्ठ भारत के नवनिर्माण का संकल्प लें।

भरी – पूरी हों सभी बोलियां,
यही कामना हिंदी है।
गहरी हो पहचान आपसी
यही साधना हिंदी है ।।

गिरिजा प्रसाद माथुर

सोशल मीडिया एवं डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं की भूमिका

सम्राट सिंह
प्रबंधक
एसएमई एवं कृषि हब प्रमुख

माँ की बोली में जगे जो दीप,
इंटरनेट की राहों में बने उजास का प्रतीक।
शब्दों के दीप से रोशन हो हर घर,
संस्कृति की लौ न हो कभी कमतर।

भाषा महज़ संचार का माध्यम नहीं है, यह किसी सभ्यता की आत्मा है, इसकी संस्कृति है, इसकी विरासत है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भाषाई विविधता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारत का भाषाई परिदृश्य दुनिया भर में सबसे विविध है, जहाँ 22 अनुसूचित भाषाएँ और सैकड़ों जनजातीय तथा क्षेत्रीय बोलियाँ इसके विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाओं को समाज की आत्मा बताते हुए भाषाई विविधता को देश की सांस्कृतिक संपदा कहा था। इस भाषाई विविधताओं को डिजिटल बुनियादी ढाँचे में समाहित करना बेहद ज़रूरी हो गया है। तकनीक अब केवल संचार का माध्यम नहीं रह गई है,बल्कि समावेशन की रीढ़ है। सोशल मीडिया एवं डिजिटल युग में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का साधन व अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, अपितु वह पहचान,संस्कृति,शिक्षा, समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण का एक प्रभावशाली मंच बन गई हैं।

सोशल मीडिया व डिजिटल परिदृश्य का भाषाई संदर्भ

आज का युग डिजिटल एवं सोशल मीडिया की क्रांति का है। डिजिटल युग का स्वरूप केवल तकनीकी उपकरणों का संचय नहीं है; यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, वाणिज्य और सामाजिक संवाद आपस में घुल - मिल गए हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वॉइस असिस्टेंट, क्लाउड सेवाएँ , कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि इस तंत्र के प्रमुख घटक हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेज़ी आई है और इसका बड़ा हिस्सा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सामग्री की माँग करता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के प्रसार ने भाषा के प्रयोग,उसकी पहुँच और उसकी प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं।

भारत में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का प्रसार तेजी से आगे बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 के आरंभ में भारत में 958 मिलियन (95.8 करोड़) से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो 2024 की तुलना में 8% अधिक है। नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 90% अधिक लोग हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं (इंडिक भाषाओं) में सामग्री का उपयोग करते हैं।जनवरी 2025 तक भारत में 491 मिलियन (49.1 करोड़) सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता थे, जो देश की कुल आबादी का 33.7% है। 10 में से 9 इंटरनेट उपयोगकर्ता अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वाले ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं।

डिजिटल माध्यमों ने भाषाई पहुँच का दायरा बढ़ाया है। गाँवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोग अब अपनी मातृभाषा में जानकारी, मनोरंजन और सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं। टेक्स्ट के साथ ऑडियो, वीडियो और इमेज का संयोजन भाषाई अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाता है। छोटे वीडियो, पॉडकास्ट और इन्फोग्राफिक्स ने भाषा के प्रयोग को अधिक सजीव और प्रभावी बनाया है।

साथ ही, सेवाओं का स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होना उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाता है और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाता है।

डिजिटल परिदृश्य ने भाषा के सामाजिक अर्थ को भी बदल दिया है। भाषा अब केवल पारिवारिक या स्थानीय पहचान का संकेत नहीं रही; वह डिजिटल पहचान, ब्रांडिंग और सामुदायिक आवाज़ का भी माध्यम बन गई है। इस परिवर्तन ने भाषा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में आत्मविश्वास और गर्व दोनों को बढ़ाया है।

लाभ और चुनौतियाँ

डिजिटलीकरण एवं सोशल मीडिया ने हिंदी एवं भारतीय भाषाओं पर गहरा प्रभाव डाला है।डिजिटल युग ने इन भाषाओं को नई पहचान दी है। हिंदी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक बन चुकी है। हिंदी ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पेज व्यापक दर्शक समूह तक पहुँच रहे हैं। समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और जीवनशैली से जुड़ी सामग्री हिंदी में उपलब्ध होने से उपयोगकर्ताओं की संख्या और सहभागिता दोनों बढ़ी है। तमिल, तेलुगु,कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, ओड़िया, असमिया और मलयालम जैसी भाषाओं में भी डिजिटल सामग्रियों का सृजन तेज़ी से बढ़ा है। स्थानीय समाचार, लोककथाएँ, शैक्षणिक सामग्री और मनोरंजन अब स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे भाषा-आधार पर समुदायों का सशक्तीकरण हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को अपनी भाषा में बोलने और लिखने का आत्मविश्वास दिया है। युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा में रचनात्मकता दिखा रही है -, लघु फिल्में, वेब सीरीज़ और ब्लॉग आदि के माध्यम से। इससे भाषा का प्रयोग सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर बढ़ा है ।

डिजिटल माध्यमों ने भारतीय भाषाओं को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाया है। अनुवाद और बहुभाषी प्लेटफॉर्म के कारण भारतीय भाषाओं की सामग्री विदेशों में भी देखी और सराही जा रही है। इस तरह भाषा न केवल स्थानीय पहचान का स्रोत बनी है, बल्कि वैश्विक संवाद का भी हिस्सा बन रही है।

डिजिटलीकरण एवं सोशल मीडिया के हिंदी एवं भारतीय भाषाओं पर सकारात्मक प्रभाव को निम्नांकित रूपों में देखा जा सकता है -

सुलभता और त्वरित प्रसार

किसी भी विचार, समाचार या सांस्कृतिक सामग्री का त्वरित प्रसार संभव हुआ है। हिंदी और भारतीय भाषाओं में सामग्री वायरल होकर व्यापक जनसमूह तक पहुँच रहा है।

स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लानों के कारण अब सूचना मिनटों में गाँव से लेकर शहर तक पहुँच जाती है। कोई लोककथा, स्थानीय खबर या सामाजिक मुद्दा एक पोस्ट, रील या व्हाट्सएप्प फॉरवर्ड से लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं। वायरल होने के लिए अब लंबा लेख जरूरी नहीं; एक भावनात्मक वीडियो, स्पष्ट संदेश या प्रभावी हेडलाइन ही काफी है। पहले जहाँ मीडिया के द्वार सीमित थे, अब हर व्यक्ति प्रकाशक बन गया है। इससे स्थानीय आवाज़ें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँच रही हैं। उदाहरण के लिए एक किसान का छोटा वीडियो जो अपनी समस्या हिंदी/ अपनी बोली में बताता है, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर होते ही मीडिया और नीति निर्माताओं तक पहुँच सकता है। त्वरित प्रसार के अंतर्गत गलत जानकारी भी तेज़ी से फैलती है। इसलिए भाषा आधारित फैक्ट चेकिंग और जिम्मेदार रिपोर्टिंग की आवश्यकता बढ़ गई है।

रचनात्मकता और नवाचार

शॉर्ट वीडियो, मीम्स और डिजिटल भाषा के प्रयोग नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। युवा पीढ़ी नई शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके विकसित कर रही हैं। 15 - 60 सेकंड के वीडियो ने कहानी कहने के तरीके बदल दिए हैं। क्रिएटर्स अपनी मातृभाषा में छोटे,प्रभावी और भावनात्मक संदेश बनाकर बड़ी संख्या में दर्शक जोड़ रहे हैं। मीम्स ने भाषा को खेल खेल में नया अर्थ दिया है; स्थानीय संदर्भों के साथ जुड़कर वे तेजी से फैलते हैं और नई शब्दावली को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया पर शायरी, हाइकू आदि लोकप्रिय हो रहे हैं । इससे भाषा के प्रयोग में विविधता और पहुँच दोनों बढ़ी है।
सृजक को चाहिए कि वे नवाचार के साथ साथ भाषा की स्पष्टता और संदर्भ का ध्यान रखें, ताकि संदेश प्रभावी और सम्मानजनक बने।

सामुदायिक निर्माण

भाषा आधारित समूह और पेज लोगों को जोड़ते हैं, जिससे भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास संभव हुए हैं। फेसबुक पेज, व्हाट्स एप्प ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और लोकल

समुदाय मिलकर लोककथाओं का संग्रह, बोली शब्दकोश, स्थानीय गीतों का डिजिटल आर्काइव और शैक्षिक सामग्री तैयार कर सकते हैं। इससे भाषा का संरक्षण संगठित रूप से होता है। डिजिटल समुदायों ने स्थानीय क्रिएटर्स, शिक्षकों और बुजुर्गों को नेतृत्व के अवसर दिए हैं। वे भाषा संबंधी निर्णयों और परियोजनाओं में सक्रिय भागीदार बनते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्रीय भाषा के युवा समूह द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन शब्दकोश या लोकगीत संग्रह पूरे समुदाय के लिए अमूल्य संसाधन बन सकता है।

क्षेत्रीय संवाद और नागरिक संवाद

स्थानीय मुद्दों पर चर्चा और नागरिक पत्रकारिता ने स्थानीय भाषाओं को सशक्त किया है। लोग अपनी भाषा में आवाज उठा रहे हैं। मोबाइल कैमरा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आम नागरिकों को रिपोर्टर बना दिया है। स्थानीय घटनाओं की रिपोर्टिंग अक्सर स्थानीय भाषा में होती है,जिससे सटीकता और पहुँच दोनों बढ़ती हैं। सड़क, पानी, स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे स्थानीय मुद्दे मातृभाषा में उठने पर समुदाय में तेज़ी से चर्चा और कार्रवाई उत्पन्न कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सेवाएँ जब उस क्षेत्र की भाषा में संवाद करती हैं, तो नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायतें, और लाइव स्ट्रीमिंग से त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। नए संवाद के तरीके यथा पॉडकास्ट, लाइव क्यूएंडए और स्थानीय भाषा में वेब डॉक्यूमेंट्री ने नागरिक संवाद को और समृद्ध बनाया है। लोग अपनी कहानियाँ सुनाते और सुनते हैं। स्थानीय पत्रकारों और नागरिक क्रिएटर्स को डिजिटल रिपोर्टिंग, एथिक्स और फैक्ट चेकिंग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि संवाद प्रभावी और विश्वसनीय बने।

नागरिक पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भाषा विशेष फैक्ट चेकिंग नेटवर्क और प्रशिक्षण आवश्यक हैं, ताकि गलत सूचनाएँ फैलने से रोकी जा सकें।

शिक्षा और प्रशिक्षण

भाषा आधारित ई लर्निंग और माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री जब स्थानीय भाषा में होती हैं, तो सीखने की समझ और स्मृति बेहतर होती है - विशेषत: प्राथमिक स्तर पर। छोटे, लक्षित वीडियो क्लिप और श्रव्य सामग्री व्यस्त जीवनशैली में भी सीखने का अवसर देते हैं। ये मॉड्यूल तकनीक व मोबाइल हितैषी होते हैं और ऑफलाइन डाउनलोड की सुविधा से ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं।वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट आदि स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होने पर डिजिटल साक्षरता और शिक्षा दोनों को बढ़ाते हैं। उच्च गुणवत्ता सामग्री का अनुवाद और स्थानीयकरण सुनिश्चित करने से शैक्षिक असमानताएँ घटती हैं । साथ ही, स्थानीय संदर्भों को जोड़कर सीखना और भी प्रभावी बनता है।

तकनीकी विकास और भाषा प्रौद्योगिकी

भाषा प्रौद्योगिकी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के डिजिटल उपयोग को सक्षम किया है। यूनिकोड, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसी तकनीकों ने भाषा की डिजिटल उपस्थिति को बढ़ाया है।

यूनिकोड के कारण देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों का डिजिटल समर्थन संभव हुआ, जिससे टेक्स्ट का आदान-प्रदान सुगम हुआ।

रोमन से देवनागरी में टाइप करने वाले टूल्स और वॉइस-टू-टेक्स्ट सुविधाएँ उपयोगकर्ताओं के लिए भाषा उपयोग को आसान बनाती हैं।

मशीन अनुवाद ने विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को सुगम बनाया है, परन्तु भाव और संदर्भ का सही अनुवाद अभी भी चुनौतीपूर्ण है। अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े और विविध भाषाई डेटासेट की आवश्यकता है।

भारतीय भाषाओं के लिए बड़े और विविध डेटासेट की कमी है, जिससे एनपीएल मॉडल की दक्षता सीमित रहती है। इस दिशा में निवेश और शोध आवश्यक है - विशेषकर बोलियों, स्थानीय शब्दावली और सांस्कृतिक संदर्भों को समाहित करने वाले डेटासेट की आवश्यकता है।

तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि भाषा-आधारित टूल्स सांस्कृतिक संवेदनशीलता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान करें। केवल शब्दों का अनुवाद पर्याप्त नहीं; भाव, मुहावरे और सांस्कृतिक संकेतों का सही अनुवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भाषा आधारित आर्थिक अवसरों को जन्म दिया है। कंटेंट क्रिएशन, स्थानीय विपणन, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाएँ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होने पर अधिक प्रभावी होती हैं।

सांस्कृतिक संरक्षण

भाषा किसी भी समाज की सांस्कृतिक आत्मा होती है। डिजिटल माध्यमों ने सांस्कृतिक संरक्षण और नवप्रवर्तन दोनों को प्रोत्साहित किया है। डिजिटल आर्काइव और सोशल मीडिया पर लोककथाओं, गीतों और परंपराओं का संग्रह और प्रसार संभव हुआ है। इससे लुप्तप्राय परंपराओं को नया जीवन मिला है। युवा लेखक और कवि डिजिटल मंचों पर अपनी रचनाएँ साझा कर रहे हैं, जिससे भाषा में नए प्रयोग और शैलियाँ उभर रही हैं। विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संवाद और सहयोग से समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। तकनीक से प्रेरित अनुवाद की सहज सुलभता ने साहित्य और कला को भाषाओं की सीमाओं के पार पहुँचाया है। भाषाई पहचान का डिजिटल अभियानों और समुदायों ने कई लुप्तप्राय बोलियों और भाषाओं के पुनरुद्धार में मदद की है। युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कर रही है और उसे डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय रूप से प्रस्तुत कर रही है।

डिजिटल चौपाल में जब बोली गूँजे अपनी,
हर शब्द बने पुल, हर आवाज़ बने कहानी।
मातृभाषा की माटी से उठे स्वर,
डिजिटल आकाश में गूँजे हर घर।
बीज जो बोएँ हम शब्दों के,
कल बनेंगे संस्कृति के नगर।

डिजिटलीकरण एवं सोशल मीडिया का हिंदी एवं भारतीय भाषाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है।

गुणवत्ता पर असर : सोशल मीडिया के कारण भाषाओं एवं लेखन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। श्रेष्ठ व गुणवत्तायुक्त रचनाएं कम पढ़ी जा रही हैं; इसके स्थान पर छोटे,आकर्षक और तात्कालिक सामग्रियों का प्रभुत्व बढ़ा है।
भाषाई ध्रुवीकरण: कभी-कभी भाषाई पहचान के आधार पर विभाजन और ध्रुवीकरण भी देखने को मिलता है, जहाँ भाषा का राजनीतिकरण हो जाता है। इससे स्थानीय भाषाई समूहों में असुरक्षा और विभाजन बढ़ता है।

डिजिटल युग में भाषाई विकास के साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतिगत, तकनीकी और सामुदायिक स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

1. डिजिटल विभाजन: इंटरनेट पहुँच और उपकरणों की उपलब्धता में असमानता के कारण कई भाषाई समुदाय अभी भी डिजिटल रूप से वंचित हैं।
2. गुणवत्ता और मानकीकरण: अनुवाद, ट्रांसलिटरेशन और भाषा संसाधनों की गुणवत्ता में असमानता है। मानकीकरण की कमी से उपयोगकर्ता अनुभव प्रभावित होता है।
3.डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: भाषा आधारित डिजिटल सेवाओं में उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता निश्चित करना आवश्यक है।

भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), मशीन लर्निंग और वाक् पहचान जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर समाधान विकसित कर रही है। इन पहलों का मकसद निर्बाध संचार, रीयल-टाइम अनुवाद, ध्वनि-सक्षम इंटरफेस और स्थानीयकृत सामग्री वितरण को सक्षम करके डिजिटल सेवाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है। डिजिटल बुनियादी ढाँचे में हुई प्रगति ने भारत की भाषाई विविधता को दस्तावेजों में समेटने,डिजिटलीकृत और पुनर्जीवित करने की कोशिशों को रफ्तार दी है। इन तकनीकों ने सैकड़ों भाषाओं और बोलियों में बड़े पैमाने पर भाषा डेटा संग्रह, स्वचालित अनुवाद और वाक् पहचान को मुमकिन बनाया है, जिनमें से कई भाषाओं और बोलियों को पहले अपर्याप्त स्थान हासिल था। इस तकनीकी गति ने संचार के बीच के अंतराल को पाटने, समावेशी शासन को बढ़ावा देने और डिजिटल सामग्री को उनकी मूल भाषाओं में सुलभ बनाकर समुदायों को सशक्त बनाने में मदद की है। भाषाई विविधता का सम्मान करने वाले एक मज़बूत तकनीकी व्यवस्था तंत्र का निर्माण करके, भारत एक समावेशी डिजिटल भविष्य की नींव रख रहा है, जहाँ हर नागरिक, अपनी मातृभाषा के सहयोग से, डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन का हिस्सा बन सकेगा। भाषिणी, आदि-वाणी, एसपीपीईएल, टीआरआई-ईसीई और एआईसीटीई के ई-कुंभ जैसी पहलों के माध्यम से, भारत अपनी भाषाओं को ज्ञान, संपर्क और समतामूलक डिजिटल विकास के इंजन में बदल रहा है। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है, बल्कि समावेशी डिजिटल विकास को भी गति देता है, जिससे देश बहुभाषी नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित होता है। यह डिजिटलीकरण व भाषाओं के सगम एवं समन्वय का सकारात्मक प्रभाव है।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया और डिजिटल युग ने हिंदी तथा भारत की भाषाओं को नई ऊर्जा और अवसर दिए हैं। अब भाषा केवल संवाद का साधन नहीं रही; वह संरक्षण, नवप्रवर्तन और आर्थिक सशक्तीकरण का एक जीवंत मंच बन चुकी है। डिजिटल चौपालों में हमारी बोलियाँ फिर से गूँज उठी हैं — गाँव की कहानियाँ, शहर की आवाज़ें, लोकगीत और युवा की नयी अभिव्यक्तियाँ एक साथ मिलकर भाषा को नया जीवन दे रही हैं। डिजिटल युग में भाषाई समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा उसके सामाजिक और प्रशासनिक ढाँचे को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। एआई नवाचार को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़कर, देश यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी भाषाई बहुलता सशक्तीकरण का वाहक बने, न कि बहिष्कार का।

हिंदी और भारत की भाषाएँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं; इन्हें डिजिटल युग में सशक्त बनाना केवल तकनीकी या नीतिगत कार्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक व नैतिक दायित्व है।

सोशल मीडिया एवं डिजिटलीकरण के प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियां हमें सतर्क करती हैं कि केवल मंच मिलना ही पर्याप्त नहीं है ,बल्कि भाषा की गरिमा, गहराई और संदर्भ को भी बचाए रखना अनिवार्य है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार,उद्योग, अकादमिक जगत और समुदाय मिलकर संवेदनशील नीतियाँ बनाएं, तकनीकी निवेश करें—तभी हमारी भाषाई विविधता डिजिटल दुनिया में न केवल जीवित रहेगी, बल्कि खिलकर नई पहचान और अवसर भी देगी।

****

********** पृष्ठ सं. 37 का शेषांश**********

उनकी रचनाएं पढ़कर आज भी पाठकों में ओज जाग जाता है। संघर्ष के आह्वान के साथ दिनकर जी ने प्राचीन भारतीय आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना के माध्यम से भी राष्ट्रीय जागरण व राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को जगाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

दिनकर जी की भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली है जिसमें चित्रात्मकता व ध्वन्यात्मकता है। उनकी रचनाओं में अधिकतर संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं – कहीं उर्दू का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। ओज और प्रवाह इनकी भाषा में सर्वत्र विद्यमान हैं।

24 अप्रैल ,1974 ई. को साहित्य गगन का यह दिनकर स्थूल रूप से अस्त हो गया ,किंतु इनकी रचनाओं का ओज एवं तेज आज भी जन – जन में पुरुषार्थ जागृत करता है।

रचना आमंत्रण

सभी स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि पत्रिका के लिए बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी,अर्थव्यवस्था,राजभाषा व्यक्तित्व विकास,तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन व अन्य विषयों पर उपयोगी व मौलिक आलेख तथा साहित्य की विविध विधाओं के अंतर्गत संस्मरण,लघु कथा, कविता आदि प्रेषित करें। रचनाकार अपनी रचना कागज के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखकर / यूनिकोड में टंकित कर मौलिकता प्रमाण पत्र(जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि रचना मौलिक है, प्रकाशनार्थ आदि के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है), के साथ भेजें। हमें शाखाओं की विशिष्ट गतिविधियों की सचित्र रिपोर्टों की भी प्रतीक्षा है। पत्रिका को और अधिक स्तरीय बनाने के लिए आपके रचनात्मक सुझाव तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया विशेषत: आमंत्रित हैं।

भारतीय कृषि : वर्तमान एवं भविष्य

रवि रंजन कुमार
अधिकारी
जगदीशपुर शाखा

भारतीय कृषि एवं जीवन के बारे में कहा गया है –

ग्रामे सुखं तिष्ठति नित्यं, कृषिः मूलं जीवनम्।
श्रमः सदा समृद्ध्यर्थं, ग्रामे श्रेयः न जायते ॥

अर्थात् कृषि जीवन का मूल आधार है, और कृषि से ही गांव में सुख और समृद्धि आती है, इसके लिए परिश्रम आवश्यक है।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की आत्मा है। यह भारतीय सभ्यता की रीढ़ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रही है। यह लाखों परिवारों का भरण-पोषण करती है और राष्ट्र की पहचान को आकार देती है। भारत में कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत ने उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कृषि नीतियाँ लागू कीं। 1960 के दशक की हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों को जन्म दिया।

भारतीय कृषि : वर्तमान स्थिति

आज भी देश की लगभग 60% से अधिक ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है। यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कुल कार्यबल का लगभग 54.6% कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है, और यह क्षेत्र देश के सकल मूल्य वर्धन में 17.8% का योगदान देता है। इस क्षेत्र ने 2024 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान दिया है।
भारत विश्व का 11.6% खाद्यान्न उत्पादित करता है, लेकिन इसकी फसल पैदावार अन्य शीर्ष उत्पादकों देशों की तुलना में बहुत कम है। यह संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 12.41% प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024 में कृषि-खाद्य निर्यात भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% था।

पीआईबी के अनुसार अगस्त 2025 तक खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2013-14 के 246.42 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 353.96 मिलियन टन हो गया।

उपर्युक्त आंकड़े आजादी के बाद भारतीय कृषि की उपलब्धियों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकृष्ट करते हैं,किंतु इन उपलब्धियों के बावजूद भारतीय कृषि क्षेत्र को अपेक्षित मुकाम पर पहुँचना शेष है।

भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास के मूल में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें दूर किए बिना कृषि का विकास संभव नहीं है। इस समय भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नांकित हैं-

यंत्रीकरण की कमी : भारतीय कृषि का केवल 47% हिस्सा यंत्रीकृत है। इसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता, अधिक श्रम निर्भरता,उच्च लागत अक्षमता आदि की चुनौतियां हैं।

अपर्याप्त सिंचाई ढाँचा - भारत की आधी से अधिक कृषि भूमि अब भी मानसून वर्षा पर निर्भर है। लगभग 51% खेती अब भी वर्षा पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण अस्थिर वर्षा से अक्सर सूखा और बाढ़ आते हैं, जिससे पैदावार प्रभावित होती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है।

पूंजी का अभाव : भारत के ज्यादातर किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूँजी का अभाव/ कमी है।

आज भी देश के ज्यादातर किसानों को व्यावहारिक रूप में संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ संतोषजनक स्तर पर नहीं मिल पाता। कई बार किसानों के पास इतनी भी पूँजी नहीं होती कि वे बीज, खाद, सिंचाई जैसी बुनियादी चीजों का भी प्रबंध कर सकें। कई छोटे किसान अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर उच्च ब्याज दरों पर मिलते हैं,जिससे लागत बढ़ जाती है।

जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के कारण भारतीय कृषि गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। अनियमित मौसम के कारण अप्रत्याशित वर्षा हो रही है, जिसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ रहा है। किसान सूखे और बाढ़, दोनों से जूझ रहे हैं, जिससे उनके लिए बुवाई और कटाई की योजना बनाना मुश्किल हो रहा है। इस अनिश्चितता के कारण खाद्यान्नों की कमी हो सकती है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं।

मृदा क्षरण और उर्वरता

रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और खराब कृषि पद्धतियों के कारण मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इस गिरावट के परिणामस्वरूप मिट्टी की उर्वरता में कमी,कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि,कम पैदावार, किसानों को मृदा स्वास्थ्य को बहाल करने और टिकाऊ खेती सुनिश्चित करने के लिए बेहतर पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

फसल की कीमत कम मिलना

किसानों को अक्सर उनकी उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिलता है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे अपनी फसलों को विभिन्न कारणों जैसे ऋण चुकाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर ही बेच देते हैं। जिसके कारण उन्हें काफी हानि का सामना करना पड़ता है। बिचौलियों के कारण भी किसानों को फसलों की कम कीमत मिलती है।

इसके अलावा अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था, कमजोर बाजार संपर्क, भूमि का विखंडन, छोटी-छोटी जोतें (लगभग 86 % किसान छोटे और सीमांत <2 हेक्टेयर की श्रेणी में), आधारभूत सुविधाओं का अभाव आदि अन्य चुनौतियां भी हैं । इन सभी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

भारतीय कृषि का भविष्य

भारतीय कृषि के उज्ज्वल भविष्य एवं दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर टिकाऊ कृषि विकास हेतु इसकी स्थिति को और अधिक उन्नत व सुदृढ़ करने के लिए नई तकनीकों को अपनाकर, बाज़ार प्रणालियों में सुधार करके और टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने किसानों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। इन बदलावों को साकार करने के लिए सरकारी सहयोग और सामुदायिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। सरकार के स्तर पर बहुआयामी उपाय जारी हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नवत् हैं –

बजट आवंटन

भारतीय कृषि क्षेत्र को पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण सरकारी बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा मिला है। 2024-25 में कृषि मंत्रालय का बजट बढ़कर ₹1.37 लाख करोड़ हो गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)

अब तक 7.71 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। केसीसी के तहत ऋण सीमा 2025-26 के लिए 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

2019 में आरंभ पीएम-किसान योजना में 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान की जाती है। अगस्त 2025 तक, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 20 किस्तों में 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

भारत में हर साल अलग-अलग क्षेत्रों में सूखे, अग्नि, चक्रवात, अतिवृष्टि, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए वहनीय कीमतों पर फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत 2025-26 के लिए बजट ₹12,242 करोड़ है। 2016 से पीएमएफबीवाई के तहत 78.41 करोड़ आवेदनों का बीमा किया गया और 1.83 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसआई)

अब तक 2021-26 के लिए 93,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। 112 सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिससे मानसून पर निर्भरता कम हुई है।
प्रति बूंद-अधिक फसल रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पानी की मात्रा में कमी आएगी, इससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। ये रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना की शुरुआत के बाद से (24 जुलाई 2025 तक) किसानों को 25.17 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1,706.18 करोड़ रुपये जारी किए गए। देश भर में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

जुलाई 2025 तक, 1,13,419 परियोजनाओं के लिए 66,310 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 1,07,502 करोड़ रुपये का निवेश सफलतापूर्वक जुटाया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 30,202 कस्टम हायरिंग सेंटर, 22,827 प्रसंस्करण इकाइयां, 15982 गोदाम, 3,703 सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, 2,454 शीत भंडारण परियोजनाएं और लगभग 38,251 कटाई-पश्चात प्रबंधन एवं व्यवहार्य कृषि परिसंपत्ति परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र

मई 2025 तक, 1.8 लाख केन्द्र वन-स्टॉप शॉप के रूप में स्थापित किए गए हैं जो किसानों को इनपुट और जानकारी प्रदान करते हैं।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत, निर्दिष्ट समूहों में जैविक खेती के लिए तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2015-16 में योजना के शुरू के बाद से, यह 52,289 क्लस्टर बनाकर 14.99 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाई गई है, जिससे लगभग 25.30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टल के साथ 1,522 मंडियों को एकीकृत किया गया है। 30 जून 2025 तक, विभिन्न कृषि वस्तुओं का 12.03 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) और नारियल, पान, स्वीट कॉर्न, नींबू और बांस जैसी गणनीय वस्तुओं की 49.15 करोड़ इकाइयों का व्यापार हुआ है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 4,39,941 करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है। जुलाई 2025 तक, 1.79 करोड़ से अधिक किसान और 4,518 एफपीओ ई-नाम पर पंजीकृत हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 26 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य एक करोड़ किसानों के बीच रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना और 2481 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करना है।

मिलेट्स

श्री अन्न- भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका वैश्विक उत्पादन में 38.4 प्रतिशत का योगदान है। वर्तमान में उत्पादन 15.99 मिलियन टन (2021-22) से बढ़कर 18.02 मिलियन टन (2024-25) हो गया है।

मेगा फूड पार्क

मेगा फूड पार्क योजना के तहत मेगा फूड पार्कों की संख्या 2014 के 2 से बढ़कर 2025 में 41 हो गई, जिनमें से 24 चालू हैं और 17 कार्यान्वयनाधीन हैं, जो खेत से बाजार तक बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हैं। स्वस्थ मिट्टी अच्छी फसल उगाने की कुंजी है। इसीलिए, भारत ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की। यह योजना किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों का विश्लेषण प्रदान करती है, और इसके आधार पर, वे उर्वरकों की इष्टतम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है और खर्च कम होता है।

इसके अलावा, भारत सिक्किम जैसे राज्यों में प्राकृतिक और जैविक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जो देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। ऐसी प्रथाएँ पर्यावरण के अनुकूल हैं और भविष्य के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती हैं।

नवाचार के बीज: तकनीक और परंपरा का मिलन

कृषि में नई तकनीकों के कार्यान्वयन ने भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। किसानों के पास अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी , ड्रोन और बिग डेटा तक पहुँच है।

उन्नत परिशुद्धता खेती, फसल की निगरानी और कीट की भविष्यवाणी, पूर्वानुमान और स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने में बहुत पहले ही सहायता करती है।
स्मार्ट सिंचाई प्रौद्योगिकी, ऐसे देश में पानी के उपयोग में कटौती करने के लिए किसानों की सहायता के लिए आई है, जहां कृषि अभी भी देश के ताजे पानी के संसाधनों का 80% से अधिक उपभोग करती है।

कीटनाशकों के छिड़काव और उपग्रह इमेजिंग के लिए ड्रोन का उपयोग पारंपरिक, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तरीकों की तुलना में कहीं अधिक कुशल है।
ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से, किसानों की डिजिटल कृषि बाजार तक पहुंच उन्हें अपने लाभ को अधिकतम करने, बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करने और पारदर्शिता में सुधार करने में सक्षम बनाती है।

मखाना बोर्ड (बिहार): बिहार में मखाना उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण पहलें

कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिए गोदामों और कोल्ड स्टोरेज पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। इससे उपज की बर्बादी रुकेगी, खाद्य सुरक्षा की स्थिति और मजबूत होगी तथा शेष उपज का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ निहित हैं। उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे देशभर में कीमतों में समानता आएगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा।
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। चूंकि देश के अधिकांश कृषक इन चीजों से पहले से ही जुड़े हुए हैं अत: इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सकता है। आवश्यकता है जागरूकता, पशुओं की नस्ल सुधार जैसे कारकों पर प्रभावी तरीके से काम किया जाए।

पारंपरिक कृषि पद्धतियों के उपयोग से कृषि दक्षता और उपज में तुलनात्मक रूप से कम सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम होती है। इसी चिंता को देखते हुए, सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांति की चौथी लहर शुरू की ताकि इन गतिविधियों में तकनीकी प्रगति लाई जा सके ताकि उपज में सुधार हो और इस क्षेत्र में जनसंख्या की भागीदारी को बढ़ावा मिले।

भारतीय कृषि की संभावनाएँ

भारतीय कृषि क्षेत्र में निरंतर तकनीकी नवाचार भारतीय कृषि प्रणाली की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने, रोज़गार सृजन और गरीबी कम करने के साथ-साथ समतामूलक एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कृषि का भविष्य रोबोटिक्स, तापमान और आर्द्रता सेंसर, हवाई चित्र और जीपीएस तकनीक जैसी अत्यधिक विकसित तकनीकों से जुड़ा प्रतीत होता है। इन अत्याधुनिक उपकरणों, रोबोटिक प्रणालियों और सटीक कृषि के कारण खेत अधिक उत्पादक, कुशल, सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बन सकेंगे।

चुनौतियों के बावजूद, सरकारी पहलों के समर्थन से उत्पादकता बढ़ाने, फसलों में विविधता लाने और किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिली है।

भारत का कृषि क्षेत्रक उत्पादकता संबंधी सुधारों व डिजिटल नवाचारों के माध्यम से रूपांतरित हो रहा है । खेती और कृषि में ये उभरती हुई तकनीकें अधिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसमें किसानों की दक्षता बढ़ाने और अधिक फसलों का उत्पादन करने के लिए क्लाउड-आधारित समाधान और अन्य प्रासंगिक उन्नत कृषि प्रबंधन तकनीकों जैसी नई तकनीकों को अपनाना शामिल है। नई तकनीकों के आगमन के साथ, भारतीय कृषि का भविष्य उज्ज्वल और आशाजनक प्रतीत होता है । सरकार ने इस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और

विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और पहलों को लागू किया है। भारत का विशाल और विविध कृषि परिदृश्य, तकनीकी प्रगति के साथ, किसानों को अपनी क्षमता का दोहन करने और उपज बढ़ाने का अपार अवसर प्रदान करता है एवं कृषि क्षेत्र विकसित भारत @2047 में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

****

********** पृष्ठ सं. 28 का शेषांश **********

वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का महत्व केवल आर्थिक सुविधा तक सीमित नहीं है। यह समान अवसर, सामाजिक न्याय, डिजिटल सशक्तीकरण, पारदर्शिता और राष्ट्रीय विकास का मूल आधार है। जब हर नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है, तब देश की आर्थिक शक्ति बढ़ती है और लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है। भारत जैसे देश में जहाँ विविधता अपार है, वहाँ समावेशी बैंकिंग ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। वित्तीय समावेशन एक नारा नहीं, बल्कि वह संकल्प है जो हर व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने का वादा करता है।

यदि हम चाहते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित, समृद्ध और न्यायपूर्ण हो, तो हमें ऐसी बैंकिंग व्यवस्था बनानी होगी जो केवल सक्षम लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर हाथ, हर मन और हर घर के लिए हो।

लेन-देन का अर्थ केवल धन नहीं,
यह सम्मान का संवाद भी है,
जब हर हाथ जुड़ जाए व्यवस्था से,
तभी सच्चा सामाजिक भाग्य भी है।

राजभाषा नियम 12

प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम, नियमों तथा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन समुचित रुप से हो रहा है एवं इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच के उपाय करे।

**********पृष्ठ सं. 31 का शेषांश **********

मूलतः, बीमा का सुरक्षा कवच अधिक जोखिम और अधिक लाभ वाली गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाता है। ये कदम व्यवसायों को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करते हैं, जिससे अधिक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है,जो अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए आवश्यक तत्व हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी बीमा कंपनियों का योगदान अतुलनीय रहा है। वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट के अनुसार

"बीमा ,वित्तीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग होने के नाते ,भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत्यु ,संपत्ति और हताहत जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और उद्यमों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, यह क्षेत्र बचत को प्रोत्साहित करता है और देश के अवसंरचनात्मक विकास और अन्य लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक धन प्रदान करता है। बीमा क्षेत्र के निरंतर आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इसका विकास आवश्यक है।"

इतना ही नहीं सरकारी बीमा कंपनियों के सूत्र वाक्य अथवा उनके ध्येय वाक्य का दृष्टिपात करने से बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को रेखांकित किया जा सकता है। संकेत के रूप में यहां जीवन बीमा क्षेत्र की एक मात्र सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के सूत्र वाक्य एवं गैर जीवन बीमा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कं. के उद्देश्य का उल्लेख करना समीचीन होगा।

भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लिया गया भारतीय जीवन बीमा का सूत्र वाक्य "योगक्षेमं वहाम्यहम्" अर्थात् "मैं तुम्हारे योग (प्राप्ति) और क्षेम (सुरक्षा) का भार उठाता हूँ" तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्युरेंस कं. के उद्देश्य वाक्य " राष्ट्रीय व्यर्थ को कम करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायता करना" बढ़ती अर्थव्यवस्था में सरकारी बीमा कंपनियों के योगदान का गौरव गान कर रहे हैं।

****
****

भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान

अल्पना कच्छप
विधि अधिकारी
अंचल कार्यालय, भागलपुर

भारत का संविधान भारतीय मनीषा की व्यापक चेतना, सूक्ष्म दृष्टि एवं अतुलनीय साधना का प्रतिफल है। संविधान निर्माण में जिन महान विभूतियों ने अतुलनीय योगदान दिया,उनमें भारत की नारी शक्ति का योगदान अप्रतिम है।

भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ.भीम रॉव अंबेडकर ने सही कहा है कि "महिलाओं के साथ के बिना एकता निरर्थक है। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षा निरर्थक है और महिलाओं की ताकत के बिना आंदोलन अधूरा है।"

आजादी से पहले ही 1946 में भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था,जिसका उद्देश्य स्वतंत्रताकालीन मूल्यों,आदर्शों एवं आजादी के वीर सपूतों के सपनों के अनुरूप सशक्त एवं प्रगतिशील संविधान का निर्माण करना था।

भारतीय संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 15 महिलाएँ थीं। यह प्रतिनिधित्व संख्यात्मक दृष्टि से भले ही कम हो, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से आकलन किया जाए तो उनके संघर्ष, विचार एवं आदर्श से भारत का संविधान लाभान्वित हुआ है। संविधान सभा में उन महिलाओं ने सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय एवं अपने विचारों से संविधान निर्माण प्रक्रिया को लाभान्वित किया है। उन्होंने न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, बल्कि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखने में भी योगदान दिया है।

संविधान सभा की बहस और संविधान निर्माण में उनका उत्साह और योगदान समाज में उनके अनुभवों का एक प्रमुख प्रतिबिंब है क्योंकि उन्होंने विभिन्न विषयों पर विविध वैचारिक विचारों का प्रतिनिधित्व किया और सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। संविधान सभा की महिला सदस्य अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम ऐजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित और एनी मस्केरेन थीं।

समाज सेवा सहित जीवन के कई क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय कार्य हैं,किंतु हम यहां पर केवल संविधान निर्माण में उनके योगदान पर विशेष रूप से प्रकाश डाल रहे हैं -

अम्मू स्वामीनाथन

अपने विचारों और कार्यों में निडर स्वामीनाथन सामाजिक आंदोलन में काफी सक्रिय थीं एवं पुरातन और दमनकारी जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दृढ़ समर्थक थीं। इन्होंने वीमेंस इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वे 1946 में मद्रास से संविधान सभा के लिए चुनी गईं।संविधान सभा में इन्होंने महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता एवं प्रखरता के साथ अपनी राय रखी। 24 नवम्बर,1949 को संविधान के प्रारुप को पारित करने डॉ. अंबेडकर द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण में इनके निम्नांकित शब्द महत्वपूर्ण हैं -'बाहर लोग यह कह रहे हैं कि भारत ने महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए हैं। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हम भारतीयों ने जब अपने संविधान का निर्माण किया तब हर नागरिक के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए हैं।'

संविधान सभा में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, "यह संविधान 40 करोड़ लोगों के सपनों का पूरा होना है।

मैं जानती हूँ कि संविधान हमें मौलिक अधिकार, समान दर्ज़ा, वयस्क मताधिकार देता है। छूआछूत और इस तरह की दूसरी चीज़ों को हटाने की बात करता है। इन सबके ख़िलाफ़ हम सालों से लड़ रहे थे। हालाँकि, अगर हमें इस देश को ख़ुशहाल और समृद्ध बनाना है, तो कागज़ पर दिखने वाली ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। हमें यह देखना होगा कि संविधान में कागज़ पर लिखे ये विचार और आदर्श इस देश के लोगों द्वारा लागू किए जाएँ." वे इसी विचार और आदर्श को पूरा करने में आजीवन लगी रहीं।

एनी मस्केरेन

केरल से संबंध रखने वाली एनी मस्केरेन त्रावणकोर और कोचिन रियासत से संविधान सभा की सदस्य बनी थीं।वे स्वतंत्रता और रियासतों को भारतीय राष्ट्र में एकीकृत करने के लिए चलाए गए आंदोलनों की नेताओं में से एक थीं। उन्होंने संविधान सभा की चयन समिति में भी काम किया, जिसने हिंदू कोड बिल पर विचार किया।

उन्होंने संविधान सभा की बहस में एक जगह कहा कि लोगों के पास बिना किसी नियंत्रण, निर्देश और निगरानी के अपने जन प्रतिनिधि चुनने का हक़ होना चाहिए। उनका कहना था- हम लोकतंत्र के सिद्धांत बना रहे हैं।

दक्षायनी वेलायुधन

दक्षायनी वेलायुधन संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र दलित महिला तथा सबसे युवा सदस्य थी। संविधान निर्माण में दलित महिलाओं के अधिकारों को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। बहस के दौरान उन्होंने छुआछूत, आरक्षण, हिंदू-मुस्लिम समस्या पर खुलकर अपनी बात रखी।

संविधान सभा की पहली बैठक में उन्होंने कहा था, 'संविधान का कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग भविष्य में किस तरह का जीवन जिएंगे। मैं आशा करती हूं कि समय के साथ ऐसा कोई समुदाय इस देश में न बचे जिसे अछूत कहकर पुकारा जाए।'

बेगम ऐजाज़ रसूल

बेगम संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं।उन्हें भारत की संविधान समिति में संयुक्त प्रांत से चुना गया था। वे महिला शिक्षा की पैरोकार थीं। यही नहीं, उनका मानना था कि बच्चे-बच्चियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। वे मूल अधिकार और स्त्री-पुरुष समानता की हिमायती थीं। संविधान सभा में अपनी बात प्रभावशाली ढ़ंग से रखी थी।

दुर्गाबाई देशमुख

आंध्र प्रदेश से संबंध रखने वाली दुर्गाबाई देशमुख को संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद संचालन समिति का सदस्य बनाया गया और उन्हें प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। वे संविधान सभा के अध्यक्षों के पैनल की एकमात्र महिला सदस्य थीं। उन्होंने कई सामाजिक कल्याण कानूनों के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदुस्तानी (हिंदी-उर्दू) को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। सामाजिक और महिलाओं के मुद्दों के लिए समर्पित संगठनों में उनकी भागीदारी से संविधान सभा में चर्चा एवं विचार विमर्श के दौरान सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। उनकी वकालत और सक्रियता ने भारतीय संविधान को रेखांकित करने वाले मूल्यों और सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हंस जीवराज मेहता

गुजरात की धरती पर अवतरित हंसा जीवराज मेहता एक महिलावादी, समाज सुधारक और समानता की प्रबल समर्थक थी। वे समाजशास्त्री,पत्रकार,लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात थीं। बम्बई से निर्वाचित हंसा जीवराज मेहता मौलिक अधिकार उप-समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संवैधानिक समिति की सदस्य थीं।उन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत की थी।

संयुक्त राष्ट्र के 'मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा' में कथन था- 'सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं।' इसे संशोधित करके लिखा गया- 'सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं।' और इस संशोधन का श्रेय जाता है हंसा जीवराज मेहता को। हंसा महिला अधिकारों की प्रबल पक्षधर थीं। 15 अगस्त, 1947 को हंसा ने महिलाओं की ओर से स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की बहस के दौरान उन्होंने लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने की वकालत की। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की पक्षधर रहीं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हटाने पर जोर दिया। उनके प्रयासों ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों यथा महिलाओं के समान अधिकार, महिलाओं के लिए विशेष

प्रावधान, समानता का अधिकार,मातृत्व अवकाश आदि को शामिल करने में योगदान दिया।

उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर के साथ मिलकर भारतीय महिला अधिकार और कर्तव्यों के चार्टर का मॉडल तैयार किया और समान नागरिक संहिता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद को एक नारीवादी के रूप में पहचाना और महिला आंदोलन में बड़े पैमाने पर काम किया, जिसने बाल विवाह (शारदा अधिनियम), देवदासी प्रथा, महिलाओं के लिए बेहतर शैक्षिक अवसरों और व्यक्तिगत कानून सुधारों के उन्मूलन पर जोर दिया।

कमला चौधरी

लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली कमला चौधरी सुप्रसिद्ध हिंदी कथाकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थीं। संविधान सभा की सदस्य के रूप में उन्होंने बहस के दौरान हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था। उनका कहना था यह महिलाओं के अधिकारों के लिए कारगर होगा। उन्होंने बिल में बहु विवाह के प्रावधान को हटाने का समर्थन किया था।

लीला रॉय

असम से संबंध रखने वाली लीला रॉय एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नारी शिक्षा के लिए समर्पित थीं। 1946 में वे संविधान सभा में शामिल हुईं और बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने जैसे मामलों की ज़बरदस्त पैरवी की थी।

मालती चौधरी

पूर्वी बंगाल से ताल्लुक रखने वाली मालती चौधरी महात्मा गांधी एवं रवींद्रनाथ टैगोर से प्रभालित थीं। वे संविधान सभा के लिए उड़ीसा (ओडिशा) से चुन कर आई थीं। संविधान सभा में वे थोड़े वक़्त ही रहीं। उन्होंने भारत की संविधान सभा की सदस्य के रूप में ग्रामीण पुनर्निर्माण में शिक्षा, विशेष रूप से वयस्क शिक्षा की भूमिका पर जोर देने की पूरी कोशिश की। वे महिला और बालिकाओं के अधिकारों के लिए सतत प्रत्यनशील रहती थीं।

पूर्णिमा बनर्जी

पूर्णिमा बनर्जी स्वतंत्रता आंदोलन की एक महान व प्रखर सेनानी थी। वे संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई थीं। वे 1946 से 1950 तक संविधान सभा की सदस्य रही।

संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने कई मौक़ों पर सक्रिय हस्तक्षेप किया। उन्होंने महिला उत्थान के लिए संविधान सभा में विचार रखे। मूल अधिकार और विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने पर उनकी राय अलग थी। उनका कहना था कि सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में सभी धर्मों के बारे में बताना चाहिए. क्योंकि इससे विद्यार्थियों की सोच-समझ के दायरे का विस्तार होगा। इतना ही नहीं उनका मानना था कि सरकार की मदद से चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

राजकुमारी अमृत कौर

राजकुमारी अमृत कौर संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई थीं। राजकुमारी अमृत कौर का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदान था। यही वजह है कि उन्हें देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ था। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं की व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना था।

संविधान सभा में चर्चा के दौरान, वे महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए मुखर पक्षधर रहीं। उन्होंने संविधान में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा और बहस में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उन्होंने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संविधान सभा में उनकी उपस्थिति और महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनकी बहस ने इन क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उनका योगदान भारतीय संविधान में समानता, न्याय और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रेणुका रे

रेणुका रे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी,सामाजिक कार्यकर्ता, प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित थीं। पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने महिला अधिकार मुद्दों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और द्विसदनीय विधायिका प्रावधान आदि के लिए जोरदार वकालत की थी।

उन्होंने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल, देवदासी प्रथा, संपत्ति का अधिकार आदि पर हुई बहस में सक्रियता के साथ भाग लिया।

सरोजिनी नायडू

'भारत कोकिला' के रूप में मशहूर सरोजनी नायडू बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की धनी थी। वे महान कवयित्री, नारी सशक्तीकरण कार्यकर्ता तथा विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थीं। वे संविधान सभा में बिहार से चुनी गई थीं। मसौदा समिति के सबसे प्रसिद्ध नामों में से वे एक थीं।वे हिंदू-मुसलमान एकता की पक्षधर और बँटवारे की विरोधी थीं। संविधान सभा में दिए गए भाषण इसके गवाह हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी पहली महिला थीं।

सुचेता कृपलानी

सुचेता कृपलानी 1946 ई. में संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी।संविधान निर्माण में उनका अहम योगदान था। वह ध्वज प्रस्तुति समिति की सदस्य थीं. जिसने संविधान सभा के समक्ष पहला भारतीय ध्वज प्रस्तुत किया था। उन्होंने संविधान सभा के स्वतंत्रता सत्र में वंदे मातरम गाया। वे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पक्षधर थीं। भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर सुचेता कृपलानी ने संविधान सभा में राष्ट्र गान और गीत गाया था।

विजय लक्ष्मी पंडित

विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से संविधान सभा का सदस्य चुनी गई थी। उन्होंने महिला समानता के मुद्दे पर जोरदार ढ़ंग से बहस की थी। उन्होंने पं. जवाहर लाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में वे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली अध्यक्ष बनी। एक कार्यकर्ता,मंत्री, राजदूत और राजनयिक के रूप में वह राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले कुछ लोगों में से एक थीं।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि नारी शक्तियों ने संविधान सभा में अपने विचारों एवं तर्कों के माध्यम से एक सशक्त, समावेशी एवं जीवंत संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया, जिसने भारतीय समाज में समानता, न्याय और सामाजिक सुधारों की नींव रखी। महिला सशक्तीकरण,समानता व न्याय, मौलिक अधिकार,शिक्षा, राष्ट्रभाषा,धार्मिक सद्भाव, समान नागरिक संहिता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी एवं निर्णायक बहस उनके योगदान को रेखांकित करती है। इन महिलाओं के योगदान ने संविधान को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों से परिपूर्ण किया। संविधान सभा में इन महिलाओं की उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान हर वर्ग, जाति और लिंग को समान रूप से प्रतिनिधित्व दे। उनकी दूरदृष्टि और निष्ठा के कारण आज भारत एक समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र है। उनका योगदान न केवल संविधान निर्माण में था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण की राह भी प्रशस्त की।

****
****

बैंक की गृह पत्रिका यूको अनुगूंज में चयनित आलेखों/ सृजनात्मक लेखन हेतु मानदेय का प्रावधान

मानदंड	स्वीकृत राशि
1 से 2 पृष्ठ तक लिखित आलेख/सृजनात्मक लेख /कविता हेतु	रु.1000/-
3 या उससे अधिक पृष्ठ तक लिखित आलेख/ सृजनात्मक लेख /कविता हेतु	रु. 2000/- (अधिकतम)
राजभाषा भारती में प्रकाशित आलेख	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र

रचनात्मक सामग्री तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रधान कार्यालय,राजभाषा विभाग को प्राप्त होने पर ही मानदेय हेतु विचारणीय होगा।

डिजिटलीकरण के युग में भाषाओं की भूमिका

संदीप कुमार
प्रबंधक
आदमपुर शाखा

डिजिटल भारत की आत्मा की खोज

आज का समय डिजिटल क्रांति का समय है। जिस गति से हमारा जीवन ऑनलाइन हुआ है, वह अद्भुत है। कल तक जो बातें चिट्ठी, दूरभाष या आमने-सामने की मुलाकातों में होती थीं, आज वे एक छोटे से स्मार्टफोन की स्क्रीन पर सिमट गई हैं। इस डिजिटल युग का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय चेहरा है 'सोशल मीडिया'। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), टिकटॉक जैसे मंचों ने न सिर्फ हमारे संवाद का, बल्कि हमारे सोचने, सीखने, खरीदारी करने और यहाँ तक कि देश-दुनिया को बदलने के तौर-तरीके को भी पलटकर रख दिया है।

लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल उठता है: क्या यह डिजिटल दुनिया सचमुच सभी भारतीयों की दुनिया है? क्या यह उनकी अपनी भाषा में उनसे बात करती है? अक्सर ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर सिर्फ अंग्रेज़ी का ही बोलबाला है। परंतु सच्चाई यह है कि भारत के डिजिटल भविष्य की नींव हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ही पड़ रही है। यह लेख इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेगा कि कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम हमारी भाषाओं के लिए एक नया मंच, नई चुनौतियाँ और नई संभावनाएँ लेकर आए हैं।

डिजिटल भारत का असली चेहरा - भाषाई विविधता का महासागर

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है, जहाँ करोड़ों लोग रोज़ाना ऑनलाइन व्यवहार करते हैं। पर यह समझना ज़रूरी है कि भारत की आत्मा उसकी भाषाई विविधता में बसती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 10% से भी कम भारतीय अंग्रेज़ी जानते हैं। शेष विशाल आबादी - 90% से अधिक - अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपने सुख-दुख, अपने व्यवसाय और अपनी संस्कृति हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, ओडिया और सैकड़ों अन्य बोलियों में ही जीती है।

इसलिए, डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार हो सकता है जब इंटरनेट और सोशल मीडिया इन्हीं भाषाओं में बात करे। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। 'भारतीय भाषाओं का इंटरनेट' या 'इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट' तेज़ी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2026 तक, भारतीय भाषाओं के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अंग्रेज़ी के उपयोगकर्ताओं से लगभग दोगुनी हो जाएगी। यह विस्फोट कई कारणों से संभव हुआ:

सस्ते स्मार्टफोन और डेटा: जियो और अन्य कंपनियों ने सस्ते डेटा प्लान दिए, जिससे गाँव-कस्बों का हर व्यक्ति स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुँच पाया।

भाषाई टाइपिंग का आसान होना: पहले भारतीय भाषाओं में टाइप करना मुश्किल था। आज, गूगल कीबोर्ड, ट्रांसलिटरेशन (रोमन में हिंदी लिखना) और खासकर वॉइस टाइपिंग ने यह रुकावट हटा दी है। अब बोलकर लिखना बहुत आसान है।

स्थानीय सामग्री की भूख: लोग उस भाषा में समाचार, मनोरंजन, ज्ञान और समाधान चाहते थे जिसे वे पूरी तरह समझ सकें। इसी माँग ने यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय भाषाओं के 'क्रिएटर्स' की एक नई पीढ़ी तैयार की।

सोशल मीडिया - सिर्फ संवाद नहीं, सशक्तीकरण

सोशल मीडिया पर हिंदी और भारतीय भाषाओं की भूमिका बहुत गहरी और बहुआयामी है। यह सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का हथियार बन गई है।

1. लोकतंत्र की नई आवाज़: पहले मीडिया एकतरफा था। आज, कोई भी आम नागरिक किसी घटना का वीडियो बनाकर, हिंदी या अपनी भाषा में बता कर, पूरे देश का ध्यान खींच सकता है। यह सत्ता के लिए जवाबदेही तय करता है और पारदर्शिता लाता है। स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं।

2. सामाजिक जागरूकता का मंच : दहेज, बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में चलने वाले अभियान बहुत असरदार होते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत जैसे हैशटैग ने लोगों को जोड़कर एक माहौल बनाया।

3. रोजगार और उद्यमिता का खज़ाना: आज, सोशल मीडिया एक बड़ा रोज़गार का क्षेत्र है। लाखों यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक समूह हिंदी और अन्य भाषाओं में चल रहे हैं। कोई युवा कॉमेडी स्क्रिप्ट बनाकर, कोई शिक्षक पाठ पढ़ाकर, कोई महिला घर की रसोई के उत्पाद बेचकर अच्छी आमदनी कमा रही है। यह 'गिग इकॉनमी' भारतीय भाषाओं पर ही टिकी है।

4. शिक्षा का लोकतंत्रीकरण: कोविड-काल ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस दौरान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों का योगदान अतुलनीय रहा। यूट्यूब पर गणित, विज्ञान, इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े चैनलों के करोड़ों विद्यार्थी हैं। इसने शहर के अच्छे स्कूलों और गाँव के स्कूलों के बीच की खाई को पाटने में मदद की।

5. सांस्कृतिक पहचान का डिजिटल संरक्षण: सोशल मीडिया हमारी प्राचीन संस्कृति को आधुनिक तरीके से सहेज रहा है। लोक गीत, नृत्य, पारंपरिक कला, रसोई के गुप्त नुस्खे, पुरानी कहानियाँ – ये सब अब डिजिटल रूप में मौजूद हैं। इससे नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने में आसानी हुई है।

6. मनोरंजन का नया साम्राज्य: टीवी और सिनेमा के बाद अब सोशल मीडिया मनोरंजन का सबसे बड़ा स्रोत है। हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली शॉर्ट फिल्में ,वेब सीरीज, कॉमेडी और व्लॉग्स (वीडियो ब्लॉग) करोड़ों दर्शक खींच रहे हैं।

प्रमुख प्लेटफॉर्म्स - अलग-अलग रंग, एक ही माला

हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल अलग अंदाज़ में होता है:

यूट्यूब: यह भारतीय भाषाओं के डिजिटल क्रांति का 'किंग' है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, टेक रिव्यू, कुकिंग – हर विषय पर चैनल मौजूद हैं। यहाँ क्रिएटर्स ने पूरा एक नया पेशा और समुदाय खड़ा किया है।

व्हाट्सएप: यह भारत की 'डिजिटल साँस' है। परिवार के समूह, व्यवसाय के संपर्क, सामुदायिक चर्चा – सब कुछ यहीं होता है। यह भाषाई सामग्री (मैसेज, ऑडियो, वीडियो) के तेज़ी से फैलने का सबसे बड़ा ज़रिया भी है।

फेसबुक: गाँव-शहर के बीच का पुल। यहाँ स्थानीय समाचार पेज, धार्मिक-सांस्कृतिक समूह और छोटे व्यवसाय बहुत सक्रिय हैं। कई लोगों के लिए यह इंटरनेट का पहला और आखिरी पन्ना है।

इंस्टाग्राम: युवाओं की भाषा का प्लेटफॉर्म। यहाँ हिंग्लिश (हिंदी+इंग्लिश) का चलन ज़्यादा है। क्रिएटिव कंटेंट, फ़ैशन, लाइफस्टाइल और माइक्रो-ब्लॉगिंग हिंदी में खूब होती है।

क्षेत्रीय ऐप्स (जैसे शेयरचैट): ये प्लेटफॉर्म शुरू से ही भारतीय भाषाओं पर केंद्रित थे। इन्होंने गाँव-देहात के उन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जिन्हें अंग्रेज़ी की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हालाँकि अब बड़े प्लेटफॉर्म्स ने भी भाषाई सुविधाएँ बढ़ा दी हैं।

आर्थिक क्रांति - भाषा का बाज़ार

डिजिटल युग में भाषा सिर्फ विचारों का नहीं, बल्कि पैसे का भी वाहक बन गई है।

डिजिटल विज्ञापन: कंपनियाँ अब समझ गई हैं कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से वे ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हैं। इसलिए, यूट्यूब वीडियो, फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम रील्स में भारतीय भाषाओं में विज्ञापन बढ़े हैं।

ई-कॉमर्स की नई दुनिया: फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे ऐप्स ने हिंदी और कई अन्य भाषाओं का विकल्प देना शुरू किया है। उत्पाद का विवरण, रिव्यू और ग्राहक सहायता अब स्थानीय भाषा में मिलती है, जिससे ग्रामीण और कम अंग्रेज़ी जानने वाले लोग भी ऑनलाइन खरीदारी कर पा रहे हैं।

इन सब उपलब्धियों के बावजूद, रास्ते में कई मुश्किलें भी हैं:

1. गुणवत्ता और फेक न्यूज़ का संकट: भाषाई इंटरनेट पर सामग्री की बाढ़ तो है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता गंभीर चिंता का विषय है। गलत स्वास्थ्य सलाह, राजनीतिक अफवाहें, भड़काऊ सामग्री बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका मुख्य कारण डिजिटल साक्षरता की कमी है।

2. तकनीकी सीमाएँ: ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन टूल (जैसे गूगल ट्रांसलेट) अभी भी भारतीय भाषाओं के लिए बहुत सटीक नहीं हैं। वॉइस असिस्टेंट (गूगल असिस्टेंट) को स्थानीय उच्चारण समझने में दिक्कत होती है। कई वेबसाइट अभी भी पूरी तरह से स्थानीय भाषा में नहीं हैं।

3. भाषाई विभाजन और ट्रोलिंग: दुर्भाग्य से, सोशल मीडिया कई बार भाषा के आधार पर लोगों को बाँटने और नफ़रत फैलाने का माध्यम भी बन जाता है। एक भाषा-भाषी समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें होती हैं।

4. शहरी-ग्रामीण डिजिटल खाई: शहरी युवा हिंग्लिश या अंग्रेज़ी में कंटेंट बनाते हैं, जो ग्रामीण इलाकों के लोगों की गहरी भावनाओं या स्थानीय समस्याओं को पूरी तरह नहीं छू पाता। सच्चे 'हाइपरलोकल' कंटेंट की कमी है।

5. यूनिकोड और फॉन्ट की समस्या: पुराने समय में अलग-अलग फॉन्ट की वजह से टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत होती थी। अब यूनिकोड मानक ने इसे काफी हल कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ तकनीकी अंतराल बाकी हैं।

भविष्य की राह - एक समावेशी डिजिटल भारत का निर्माण

भविष्य में हिंदी और भारतीय भाषाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे:

1. तकनीकी विकास पर ध्यान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके भारतीय भाषाओं के ट्रांसलेशन, वॉइस टेक्नोलॉजी और कंटेंट सृजन को बेहतर बनाना होगा। भारतीय आईआईटी और स्टार्टअप्स को इस दिशा में शोध के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

2. डिजिटल साक्षरता अभियान: लोगों को केवल ऐप चलाना ही नहीं, बल्कि सही जानकारी पहचानना, गोपनीयता बचाना और सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सिखाना ज़रूरी है। यह शिक्षा स्कूल स्तर से ही स्थानीय भाषा में शुरू होनी चाहिए।

3. गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रोत्साहन: विशेषज्ञों (शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक) को अपना ज्ञान भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन साझा करने के लिए प्रेरित और पुरस्कृत करना चाहिए। सरकार और निजी संस्थान अच्छे क्रिएटर्स को फंड और मंच दे सकते हैं।

4. भाषाई समानता का दृष्टिकोण: यह याद रखना ज़रूरी है कि हिंदी के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल भारत का मतलब तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी आदि सभी भाषाओं का समान विकास है। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का विचार डिजिटल दुनिया में भी लागू होना चाहिए।

5. ई-गवर्नेंस में भाषाई एकीकरण: सभी सरकारी सेवाओं, योजनाओं के आवेदन, शिकायत निवारण प्रणाली को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना 'डिजिटल इंडिया' की सबसे बड़ी सफलता होगी। इससे हर नागरिक सशक्त होगा।

6. युवाओं और भाषा के बदलते स्वरूप को स्वीकारना: हिंग्लिश और कोड-मिक्सिंग (भाषाओं को मिलाना) को 'भ्रष्टाचार' न मानकर, भाषा के स्वाभाविक विकास के रूप में देखना चाहिए। सोशल मीडिया ने भाषा को और लचीला व रचनात्मक बनाया है।

वैश्विक संदर्भ और मेटावर्स की ओर आगे का रास्ता और भी रोमांचक है। जैसे-जैसे वॉइस-आधारित इंटरनेट और 'मेटावर्स' (डिजिटल आभासी दुनिया) का विकास होगा, भाषा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारतीय भाषाएँ इस नई दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकती हैं। वैश्विक स्तर पर, भारतीय डायस्पोरा के लिए यह भाषाएँ मातृभूमि से जुड़े रहने का सबल माध्यम बन सकती हैं।

निष्कर्ष: भाषा ही है डिजिटल आत्मा

सोशल मीडिया और डिजिटल युग एक खाली कैनवास है। इस पर जो चित्र बनेगा, उसकी रंगत और संदेश उस भाषा पर निर्भर करेगा जिसमें वह बना है। हिंदी और भारतीय भाषाएँ इस कैनवास को जीवंत, सार्थक और समावेशी बना रही हैं। ये भाषाएँ लोकतंत्र को मज़बूत कर रही हैं, अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं, ज्ञान को स्वतंत्र बना रही हैं और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित कर रही हैं।

अंततः, जिस देश की जनता अपनी भाषा में सोचती है, अपनी भाषा में डिजिटल दुनिया में सक्रिय रहती है और अपनी भाषा में नवाचार करती है, वही देश सच्चे अर्थों में एक 'डिजिटल सुपरपावर' बन पाएगा। यह हम सभी – उपयोगकर्ता, क्रिएटर, तकनीकविद और नीति निर्माता – की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी इस अमूल्य भाषाई विरासत को डिजिटल युग की चकाचौंध में खोने न दें, बल्कि उसके माध्यम से एक नए, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करें। भाषा हमारी पहचान है और अब यह हमारी डिजिटल आत्मा भी बन चुकी है।

********** पृष्ठ सं. 25 का शेषांश**********

एक सैनिक के लिए सेवा कभी समाप्त नहीं होती, केवल उसका रूप बदलता है।सीमाओं की रक्षा और बैंक में जन-विश्वास की सुरक्षा - दोनों का मूल भाव समान है: कर्तव्य, निष्ठा, सतर्कता और सेवा । प्रत्येक सुरक्षित लेन-देन, प्रत्येक सुरक्षित ग्राहक—उसी सेवा-भावना की निरंतरता है।
वर्षों का सैन्य अनुभव रखने वाला सुरक्षा अधिकारी बैंक शाखा के लिए मात्र एक पदाधिकारी नहीं, बल्कि सुरक्षा का सुदृढ़ स्तंभ होता है।
सैन्य अनुशासन एवं बैंकिंग नियमों के समन्वय से वह शाखा को सुरक्षित, सजग एवं सक्षम बनाता है।

"एक बार सैनिक, सदैव संरक्षक
युद्धभूमि बदल सकती है,
पर सुरक्षा का संकल्प अटल रहता है।"

प्रकृति के पास सभी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन वह किसी भी प्राणी की लालच को पूरा नहीं कर सकता ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजातों की सूची

1. सामान्य आदेश
2. अधिसूचनाएं
3. प्रेस विज्ञप्तियाँ
4. संविदाएं
5. करार
6. लाइसेंस
7. परमिट
8. नोटिस
9. टेंडर के फार्म
10. संकल्प
11. नियम
12. संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी – पत्र (रिपोर्टों के अलावा)
13. संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें
14. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट (संसद के एक सदन या दोनो सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा)

****

सैन्य भूमि से बैंक शाखा तक

अमरसेन कुमार (सुरक्षा)
प्रबंधक
अंचल कार्यालय, भागलपुर

बैंकिंग व्यवस्था में जहाँ विश्वास, सतर्कता और तत्परता सर्वोपरि होते हैं, वहाँ सुरक्षा अधिकारी की भूमिका केवल सीसीटीवी अथवा अलार्म प्रणाली तक सीमित नहीं रहती। विशेष रूप से जब किसी बैंक में वर्षों का सैन्य अनुभव रखने वाला सुरक्षा अधिकारी कार्यरत होता है, तब वह शाखा को केवल भौतिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा नेतृत्व भी प्रदान करता है।

सैन्य सेवा में सुरक्षा कभी स्थिर नहीं होती; खतरे निरंतर बदलते रहते हैं और थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। यही विचारधारा बैंकिंग सुरक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। सैन्य पृष्ठभूमि वाला सुरक्षा अधिकारी बैंक शाखा को एक गतिशील सुरक्षा क्षेत्र के रूप में देखता है, जहाँ प्रत्येक गतिविधि एवं संभावित जोखिम पर सतत निगरानी आवश्यक होती है। वह घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, निवारण, प्रतिरोध और तैयारी को प्राथमिकता देता है।

सैन्य प्रशिक्षण व्यक्ति को परिस्थितियों एवं मानव व्यवहार को सूक्ष्मता से समझने की क्षमता प्रदान करता है। संदिग्ध गतिविधियाँ—जैसे बार-बार अनावश्यक आना, बिना उद्देश्य भ्रमण करना, अथवा व्यवहार में असामान्य परिवर्तन—इन सभी संकेतों को वह शीघ्रता से पहचान लेता है।

यह क्षमता बैंक शाखा में चोरी, डकैती, आंतरिक त्रुटि तथा सुरक्षा उल्लंघनों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने में सहायक होती है।
अनुशासन सैन्य जीवन का मूल तत्व है, और यही अनुशासन बैंकिंग सुरक्षा में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के शत-प्रतिशत पालन को सुनिश्चित करता है।
चाहे वह नकद प्रबंधन हो, वॉल्ट संचालन, प्रवेश नियंत्रण, या सीसीटीवी की नियमित जाँच—हर कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार होता है।

सुरक्षा अधिकारी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर शाखा कर्मियों के बीच यह संदेश स्थापित करता है कि सुरक्षा एक सामूहिक दायित्व है।

आपात स्थितियों में विलंब गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। सैन्य अनुभव सुरक्षा अधिकारी को दबाव के समय भी शांत, त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। लूटपाट का प्रयास, अग्नि दुर्घटना, विद्युत जोखिम, भीड़ प्रबंधन या पुलिस समन्वय—हर परिस्थिति में वह नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है, जिससे कर्मचारियों एवं ग्राहकों का विश्वास बना रहता है।

सैन्य पृष्ठभूमि वाला सुरक्षा अधिकारी एक प्रशिक्षक एवं प्रेरक भी होता है।नियमित सुरक्षा ब्रीफिंग, मॉक ड्रिल तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वह शाखा कर्मियों को आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करता है।
इससे शाखा एक संगठित, सक्षम और सतर्क सुरक्षा इकाई के रूप में विकसित होती है।

सैन्य अनुभव व्यावहारिक और किफायती समाधान अपनाने की प्रेरणा देता है।जैसे—उचित संकेत चिह्न, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी का उचित एंगल, आगंतुक प्रबंधन तथा शाखा लेआउट में छोटे-छोटे सुधार।ये उपाय न्यूनतम लागत में अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

**********शेषांश पृष्ठ सं. 24 पर **********

वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का महत्व

अमित कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक
एमएसएमई व कृषि हब , भागलपुर

आज के युग में बैंक केवल धन जमा करने और निकालने का माध्यम नहीं रह गए हैं। वे आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तीकरण और डिजिटल प्रगति के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय समावेशन अर्थात् समाज के हर वर्ग तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है। भारत जैसे विशाल, विविध और असमानताओं से भरे देश में वित्तीय समावेशन केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। जब बैंकिंग व्यवस्था गाँव, गरीब, श्रमिक, किसान, महिला, युवा, दिव्यांग, असंगठित क्षेत्र के कामगार और वंचित समुदाय तक पहुँचती है, तभी विकास वास्तव में समावेशी बनता है।

वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि हर व्यक्ति को बचत खाता, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान, निवेश और वित्तीय साक्षरता जैसी सेवाएँ सुलभ हों। यह केवल खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि लोग इन सेवाओं का वास्तविक उपयोग कर सकें, उन पर भरोसा कर सकें और उनके माध्यम से अपने जीवन में सुधार ला सकें। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल,नकदी-रहित और डेटा-आधारित हो रही है। यदि समाज का बड़ा हिस्सा इस परिवर्तन से बाहर रह गया, तो आर्थिक विकास की गति असमान हो जाएगी।

भारत में वित्तीय समावेशन की यात्रा प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से नई गति पकड़ चुकी है। 2014 में शुरू हुई इस योजना में 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए , जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान है। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, ने इस प्रक्रिया को और मजबूत किया है। लेकिन सवाल यह है कि वित्तीय समावेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह न केवल गरीबी उन्मूलन में मदद करता है, बल्कि आर्थिक विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है।

2014 में आरंभ हुई पीएमजेडीवाई ने क्रांति ला दी। अप्रैल 2026 तक, इस योजना के तहत 53 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं, जिनमें 35 करोड़ महिलाओं के खाते शामिल हैं। इन खातों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं। इसके अलावा, आधार-लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ने 10 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार को रोका। आयुष्मान भारत और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों ने गरीबों को ऋण उपलब्ध कराया। कोविड-19 महामारी के दौरान, आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये की आपात सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से वितरित की गई,जो वित्तीय समावेशन की ताकत को दर्शाता है। वित्तीय समावेशन व्यक्ति को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । वित्तीय समावेशन की शक्ति को किसी ने ठीक ही निम्न रूप में रेखांकित किया है -

खाता नहीं,
यह तो विश्वास का घर है,
जहाँ छोटी बचत भी
भविष्य की बड़ी डगर है।

वित्तीय समावेशन गरीबी घटाने में सहायक होता है। जब किसी गरीब व्यक्ति के पास बैंक खाता होता है, तो वह अपनी छोटी-छोटी बचत सुरक्षित रख सकता है। उसे साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जो अक्सर ऊँचे ब्याज पर कर्ज देकर गरीबों को और अधिक संकट में डाल देते हैं। बैंकिंग सुविधा मिलने से व्यक्ति औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ता है और धीरे-धीरे उसकी आर्थिक पहचान बनती है। सरकारी सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की राशि सीधे खाते में आने से पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार कम होता है।

भारत में जन-धन योजना, डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ, आधार आधारित पहचान और मोबाइल बैंकिंग ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है। पहले जहाँ बैंक शाखा तक पहुँचना कठिन था, वहीं अब मोबाइल फोन से लेन-देन संभव हो गया है। यह परिवर्तन विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी रहा है। एक छोटे किसान को अब फसल बेचने के बाद भुगतान पाने के लिए कई चक्कर नहीं लगाने पड़ते। एक महिला स्वयं सहायता समूह अपनी बचत को बैंक से जोड़कर छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती है। एक छात्र अपनी छात्रवृत्ति सीधे खाते में प्राप्त कर सकता है और उसका भविष्य अधिक सुरक्षित हो सकता है।

गाँव की पगडंडी से
जब पैसा मोबाइल तक आया,
तब विकास ने भी
नया चेहरा अपनाया।

वित्तीय समावेशन का एक बड़ा लाभ यह है कि यह लोगों को बचत की आदत सिखाता है। जब आय छोटी होती है, तब भी यदि व्यक्ति नियमित रूप से थोड़ी राशि बचा पाए, तो भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटना आसान हो जाता है। बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में यह बचत सहारा बनती है। बैंकिंग व्यवस्था लोगों को सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं देती, बल्कि वित्तीय अनुशासन और भविष्य की योजना बनाने की संस्कृति भी विकसित करती है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है - ऋण की उपलब्धता। व्यवसाय शुरू करने, शिक्षा प्राप्त करने, कृषि सुधारने, उपकरण खरीदने या घर बनाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। यदि बैंकिंग सेवाएँ सबके लिए खुली हों, तो छोटे उद्यमी और कमजोर व वंचिक वर्ग भी आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इससे केवल व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का विकास होता है। वित्तीय समावेशन उद्यमिता को बढ़ावा देता है,रोजगार सृजन करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है।

डिजिटल बैंकिंग के युग में वित्तीय समावेशन का दायरा और भी व्यापक हो गया है। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, आधार-पेमेंट सिस्टम और एटीएम जैसी सुविधाएँ बैंकिंग को तेज और सरल बनाती हैं। लेकिन यह सुविधा तभी सार्थक है जब उपयोगकर्ता इन्हें समझे भी। इसलिए वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का अनिवार्य हिस्सा है। यदि लोगों को बैंकिंग उत्पादों, ब्याज दरों, धोखाधड़ी से बचाव और डिजिटल सुरक्षा की जानकारी नहीं होगी, तो समावेशन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए बैंकिंग संस्थानों और सरकार को केवल सेवाएँ उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता को शिक्षित भी करना चाहिए।

ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गाँवों में आज भी अनेक परिवार ऐसे हैं जो औपचारिक बैंकिंग से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। अनेक किसान फसल ऋण, बीमा और बचत के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यदि बैंकिंग पहुँच बढ़े, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन की समस्या भी कुछ हद तक कम हो सकती है। गाँवों में बैंकिंग सुविधा केवल आर्थिक साधन नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकती है।

जिस दिन हर घर तक
बैंकिंग की रोशनी पहुँचेगी,
उस दिन गरीबी की
कई जंजीरें टूटेंगी।

महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन का अर्थ स्वतंत्रता है। जब महिला के नाम पर बैंक खाता होता है, वह बचत करती है, ऋण लेती है, डिजिटल भुगतान करती है और अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाती है, तब वह केवल परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि आर्थिक निर्णयकर्ता भी बनती है। महिला जब किसी कार्य का निर्णय स्वयं लेने लगती हैं तो उसमें आत्मविश्वास का प्रार्दुभाव होता है। वह सशक्त बनने लगती हैं। इससे समाज में उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं मजबूत होती है।महिला की आर्थिक भागीदारी केवल उसके जीवन को नहीं, उसके परिवार तथा अगली पीढ़ी के भविष्य को भी बदलती है।

वित्तीय समावेशन का सामाजिक प्रभाव भी गहरा है। जब गरीब, पिछड़े, अनुसूचित वर्ग, अल्पसंख्यक और असंगठित क्षेत्र के लोग वित्तीय व्यवस्था से जुड़ते हैं, तो अवसरों की असमानता घटती है। वित्तीय समावेशन सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। यह लोकतंत्र को भी मजबूत करता है, क्योंकि आर्थिक भागीदारी नागरिक सहभागिता की बुनियाद होती है। एक ऐसा समाज, जहाँ हर व्यक्ति को वित्तीय अधिकार प्राप्त हों, अधिक स्थिर, अधिक उत्पादक और अधिक न्यायपूर्ण बनता है।

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल, छोटे बचत खाते, जन-धन खाते, रूपे कार्ड, बीमा योजनाएँ, पेंशन योजनाएँ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भुगतान ढाँचे ने इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है। फिर भी चुनौतियाँ समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी कई लोगों के पास खाता तो है, पर सक्रिय उपयोग नहीं है। कई जगह नेटवर्क, डिजिटल साक्षरता, भाषा, भरोसे की कमी और तकनीकी कठिनाइयाँ बाधा बनती हैं। इसलिए आने वाले समय में वित्तीय समावेशन को केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना होगा।

समावेशी बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है—विश्वास। यदि ग्राहक को लगता है कि बैंक उसकी जरूरत समझता है, उसकी भाषा में बात करता है, उसकी पहुँच में है और उसके हितों की रक्षा करता है, तो वह बैंकिंग से अधिक गहराई से जुड़ता है। यही विश्वास वित्तीय समावेशन की आत्मा है। बैंक शाखा केवल भवन नहीं, बल्कि उम्मीद का केंद्र बननी चाहिए। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म केवल तकनीक नहीं, बल्कि सुविधा और गरिमा का माध्यम बनना चाहिए।

वित्तीय समावेशन को विकास की धारा में शामिल किए बिना किसी भी राष्ट्र का आर्थिक उत्थान अधूरा है। आज जब दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, तब पीछे छूटे वर्गों को साथ लाना और भी आवश्यक हो गया है। यदि बैंकिंग व्यवस्था समावेशी नहीं होगी, तो तकनीकी प्रगति भी कुछ वर्गों तक सीमित रह जाएगी। इसलिए वर्तमान बैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि हर नागरिक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होना चाहिए।

****
****

********** शेषांश पृष्ठ सं. 16 पर **********

संविधान का अनुच्छेद 351

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

****
****

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में सरकारी बीमा कंपनियों का योगदान

देवेश कुमार मिश्रा
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय , भागलपुर

भारत ने आजादी के 100 वें अर्थात् 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया है। कहा गया है कि-

संकल्पं हि समृद्धि हेतु, साधनं हि वित्तीय प्रबंधन।"

संकल्प ही प्रगति की कुंजी है, और वित्तीय प्रबंधन उसका साधन है।

विकसित भारत के नवनिर्माण में आर्थिक समृद्धि महत्वपूर्ण कारक है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित होने की ओर तेजी से अग्रसर है। वर्ष 2025 में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है एवं सकल घरेलू उत्पाद 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र अपना सर्वतोभावेन योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में भारत का बीमा क्षेत्र विशेषत: सरकारी बीमा कंपनियों का योगदान उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण रहा है।

बीमा क्षेत्र आर्थिक विकास की आधारशिला है। यह न केवल व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को स्थिर करता है, बल्कि बचत को बल प्रदान कर,निवेश को बढ़ावा देकर,रोज़गार सृजन करके और सरकारी पहलों को समर्थन देकर समग्र अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाता है।

हाल के वर्षों से भारत के बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है,तथापि अभी भी सरकारी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी काफी महत्वपूर्ण है, विशेषत: जीवन बीमा क्षेत्र में एकमात्र सरकारी जीवन बीमा निगम का दबदबा कायम है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम का जीवन बीमा बाजार में लगभग 57.05% तथा सरकारी जनरल बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 36% है।

भारत में सरकारी क्षेत्र की निम्नांकित कंपनियां कार्यरत हैं -

1. भारतीय जीवन बीमा निगम; 2 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; 3. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; 4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; 5. द न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड; 6. जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया; 7. एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और 8. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ये 8 कंपनियां इस समय बीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है। गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियां अर्थात न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। इनके अलावा, एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता कंपनी 'भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) है। बाजार में दो अन्य विशिष्ट बीमा कंपनियों में ई.सी.जी.सी. लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

भारत में बीमा क्षेत्र बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 में, भारत में बीमा प्रीमियम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.7% था, जिसमें जीवन बीमा का योगदान 2.8% और गैर-जीवन बीमा का योगदान 0.9% था। जीडीपी में बीमा की हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद, प्रति व्यक्ति प्रीमियम में मामूली वृद्धि हुई, जो वित्तीय वर्ष 2022 में 8,035 रुपये (92.0 अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 8,297 रुपये (95.0 अमेरिकी डॉलर) हो गया।

गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ वर्ष 2026 में दोहरे अंकों की वृद्धि का अनुमान लगा रही हैं। इस आशावादी दृष्टिकोण का का सृजन अनुकूल नियामकीय माहौल और ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए अभिनव उत्पादों की पेशकश को दिया जा रहा है।

भारत के जीवन बीमा क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि दिखाई, जिसमें प्रथम वर्ष का प्रीमियम 22.91% सालाना बढ़कर 89,726.7 करोड़ रुपये (10.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया, जो वित्तीय वर्ष 24 की पहली तिमाही में 73,004.87 करोड़ रुपये (8.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था। भारत के बीमा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, पिछले दो दशकों में घरेलू बाजार 17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 26 तक इसके 19,30,290 करोड़ रुपये (222.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँचने का अनुमान है। यह वृद्धि बढ़ती जागरूकता, अनुकूल नियामक परिवर्तनों और निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी के कारण हुई है।

जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 (अप्रैल-जनवरी) में जीवन बीमा कंपनियों का नया व्यवसाय प्रीमियम बढ़कर 3,05,912 करोड़ रुपये (35.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया।

भारत में जीवन बीमा के प्रथम वर्ष के प्रीमियम में एलआईसी की हिस्सेदारी 56.96% है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 43.04% है।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार, भारत एक दशक के भीतर जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन जाएगा।

बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाएँ शुरू की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है -

• **प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना:** यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को किफायती बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है। यह अत्यन्त लोकप्रिय योजना है तथा मात्र 20 रु. के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है।

• **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:** यह पहल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए जीवन बीमा प्रदान करती है। यह बीमा रु. 436 /- मात्र के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है।

• **अटल पेंशन योजना:** यह असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों को पेंशन कवरेज की गारंटी देती है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होते हैं।

• **आयुष्मान भारत योजना:** प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा कवर मिलेगा, जिसका उपयोग वे सार्वजनिक या निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कर सकते हैं।

आजादी के बाद राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप भारत की सरकारी बीमा कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि एवं सामाजिक कल्याण में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। इस क्षेत्र का राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। ये कंपनियां अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के विविध पहलूओं को समृद्ध कर रही हैं। इसे निम्नांकित रूप में रेखांकित किया जा सकता है -

व्यवसायों के लिए जोखिम न्यूनीकरण : उद्यमी और व्यवसाय अपने उद्यमों की सुरक्षा के लिए बीमा पर आश्रित हैं।

बचत को प्रोत्साहन :बचत अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। भारत की सरकारी बीमा कंपनियां प्रीमियम के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था को सशक्त करती है।

निवेश को प्रोत्साहित करना : बीमा की उपलब्धता निवेश से जुड़े जोखिमों को कम करती है। निवेशक यह समझ कर कि

बीमा संभावित नुकसान को कवर करेगा, उद्यमों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

पूँजी संचय : बीमा कंपनियाँ प्रीमियम एकत्र करती हैं, जिसे फिर बुनियादी ढाँचे, रियल एस्टेट और वित्तीय बाज़ार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यह पुनर्निवेश आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

रोज़गार सृजन : बीमा उद्योग लाखों रोज़गार पैदा करता है, जिनमें बीमा एजेंट से लेकर एक्चुअरी तक शामिल हैं। ये भूमिकाएँ स्थिर रोज़गार प्रदान करके अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। सामान्य बीमा उद्योग दस लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जिनमें से लगभग 1,40,000 नियमित कर्मचारी हैं।

बुनियादी ढाँचा विकास : सरकारी बीमा कंपनियाँ अक्सर राजमार्गों, अस्पतालों और स्कूलों जैसी दीर्घकालिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश करती हैं। ये निवेश सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं।

सामाजिक स्थिरता : दुर्घटनाओं, बीमारियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली वित्तीय हानि को दूर करके, बीमा सामाजिक अराजकता को रोकता है और निरंतर विकास सुनिश्चित करता है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को योगदान : कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत में कृषि क्षेत्र सूखा, बाढ़, तूफान आदि जैसे विभिन्न जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे फसलों को व्यापक नुकसान होता है। बीमा के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नुकसान के जोखिम को कम करने से कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख विकास लक्ष्यों, जैसे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और भुखमरी पर अंकुश लगाने, से भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, एक व्यापक फसल बीमा योजना देश के बड़े हिस्से को कवर करती है।

स्वास्थ्य एवं अन्य व्यक्तिगत बीमा : बढ़ते चिकित्सा खर्च और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च दुनिया भर में चिंता का विषय है और भारतीय बाज़ार भी इसका अपवाद नहीं है। एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा और उसका प्रभावी वितरण लोगों के लिए एक वास्तविक राहत हो सकता है।

व्यक्तिगत दुर्घटना को कवर करने वाली पॉलिसी पीड़ित को आवश्यक मौद्रिक मुआवजा प्रदान कर सकती है, जबकि गृह बीमा लोगों को चोरी, आग, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं या मोटर दुर्घटना के कारण होने वाली सार्वजनिक देयता से भी बचा सकता है।

हाल ही में कोविड महामारी के दौरान, जब लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, बीमा उद्योग ने चुनौती का सामना किया और कोविड रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया।

इस प्रकार बीमा सभी नागरिकों को दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में जीवन या अपनी बचत के नुकसान के डर से मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाता है।

वाणिज्य एवं व्यवसाय में सहायक : बीमा के बिना व्यवसाय और वाणिज्य संभव नहीं है। औद्योगिक बीमा आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं, विभिन्न देनदारियों, लाभ की हानि आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। परिवहन बीमा के बिना वस्तुओं का कोई भी निर्यात-आयात या व्यापार संभव नहीं है। इस प्रकार, बीमा उद्यमशीलता की भावना को हानि के भय से मुक्त होकर व्यवसाय को सक्षम बनाता है। बीमा कम्पनियां व्यवसायों को जोखिम कम करने और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा में मदद करती हैं।

व्यवसायों का जोखिम कम करने में मदद करने से अर्थव्यवस्था पर स्थायी और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक मज़बूत मुख्य सड़क, मज़बूत समुदायों और अलग-अलग राज्यों और पूरे देश की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है। व्यवसायों को भी आपदाओं और अप्रत्याशित चुनौतियों के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। जब आपदा आती है, तो बीमा उन सर्वोत्तम वित्तीय साधनों में से एक है जिनका उपयोग व्यवसाय इन चुनौतियों से निपटने में कर सकते हैं।अप्रत्याशित परिस्थितियों से मुकाबला करने का यह एक सशक्त माध्यम है।

**********शेषांश पृष्ठ सं. 16 पर **********

थोड़ा रूक भी जाओ

सुभाष चंद्र साह
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय , भागलपुर

कहा जाता है कि गति ही जीवन है। जीवन चलने का नाम है, अत: चलते रहो। प्रकृति का कण- कण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है, रुकना मृत्यु । लेकिन निरंतर चलने के लिए एक चीज और भी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है ठहरना । निरंतर चलते रहने के लिए रुकना भी अनिवार्य है। एक ओर कहा जा रहा है कि निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है और रुकना मृत्यु, फिर यह कहा गया कि निरंतर चलने के लिए बीच – बीच में विश्राम व विराम भी जरूरी है। थोड़ा विरोधाभास दिखलाई पड़ रहा है, पर है नहीं।

वर्तमान दौर रफ्तार का युग है। आज का मनुष्य निरंतर आगे बढ़ने की दौड़ में ऐसा उलझा है कि उसे रुकना एवं ठहरना 'पिछड़ना' लगने लगा है। भागमभाग जिंदगी, लक्ष्य प्राप्ति की बेचैनी, उपलब्धियों का दबाव और दूसरों से आगे निकलने की चाह ने मनुष्य को लगातार दौड़ते रहने के लिए विवश कर दिया है। इस भागमभाग जिंदगी में एक पल फुर्सत का नहीं मिला, कब सुबह से शाम हुई, कब सूरज निकला एवं कब ढ़ला, यह पता नहीं। जीवन रूपी पुस्तक का एक – एक पन्ना मानो बिना पढ़े ही पलट दिया है। इस अंधी दौड़ में वह यह भूल जाता है कि जीवन केवल मंज़िल का नाम नहीं, बल्कि यात्रा का भी नाम है, और यात्रा के दौरान बीच बीच में रुकना उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना।

रुकना निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आत्म-विश्राम, आत्म-मूल्यांकन और आत्म- पुनर्निर्माण की प्रक्रिया एवं तरोताजा होने का उद्यम है। जैसे गाड़ी में ब्रेक आवश्यक है, वैसे ही जीवन में रुकना ज़रूरी है। बिना रुके आगे बढ़ना थकावट, भ्रम और टूटन को जन्म देता है। यदि वाक्य लंबा रहता है तो पूर्ण विराम के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य रूपी जीवन की सफलता एवं सार्थकता के लिए अल्प विराम का काफी अधिक महत्व है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन सदा गतिमान है। नदी बहती है, समय चलता है, सांस आती -जाती है। गति जीवन का मूल गुण है, किंतु अति सर्वत्र वर्जयेत् अर्थात् अति हर जगह वर्जित है। अत्यधिक गति विनाशकारी भी हो सकती है। यदि नदी बहुत तेज़ बहे तो कटाव करती है; यदि गाड़ी अत्यधिक तेज़ चले तो दुर्घटना होती है।

इसी प्रकार, जीवन में भी गति आवश्यक है, परंतु संतुलन के साथ। रुकना एवं ठहरना गति का विरोध नहीं,बल्कि उसका पूरक है। जैसे संगीत में विराम (पॉस) न हो तो सुर बेसुरा लगने लगता है, वैसे ही जीवन में भी बिना रुके चलना उसे नीरस और बोझिल बना देता है।

निरंतर दौड़ते रहने से भी हमें असफलता हाथ लगती है। जब हम निरंतर दौड़ते रहते हैं, तो हमें यह सोचने का अवसर नहीं मिलता कि असफलता जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन असफलता के बाद बिना रुके फिर से दौड़ने लगना कई बार वही गलती दोहराने जैसा हो जाता है। रुककर यदि हम यह समझ लें कि कहाँ चूक हुई? एवं आगे क्या सुधार करना है? तो असफलता सफलता की सीढ़ी बन सकती है।

गतिशील जीवन में ठहर कर चिंतन एवं मनन करना आवश्यक हो जाता है। यह हमें आत्म -मूल्यांकन का अवसर देता है। यह हमें आईने में झांकने जैसा मौका देता है, जहाँ हम स्वयं से ईमानदार संवाद कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ठहरना,रुकना एवं विश्राम करना मानसिक औषधि है। बीच बीच में रुकना हमें ऊर्जावान बनाता है। इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है।

किसी गुम वस्तु को खोजने के दौरान भी ऐसे अनुभव होते हैं। आप उस चीज को खूब खोजते हैं, हर जगह ढूंढते हैं , हर कोना देखते हैं , लेकिन नहीं मिलती है। थोड़ी देर बाद आप कोशिश छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। इस बीच मन शांत हो जाता है । ताजगी आ जाती है। अचानक आपकी नजर उस वस्तु पर पड़ती है या आपको याद आ जाता है वह कहां रखी है।

प्रकृति हमें रुकने का महत्व सिखाती है। दिन के बाद रात आती है । ऋतु परिवर्तन में विश्राम का समय होता है। पेड़ भी पतझड़ के बाद ही नई पत्तियाँ लाते हैं । प्रकृति कभी भी लगातार एक ही गति में नहीं रहती। वह सिखाती है कि ठहराव पुनर्निर्माण का समय होता है। तूफान के पहले वातारण में शांति छा जाती है। वह भी विश्राम का ही प्रतीक है।

आध्यात्म में मौन, ध्यान और विश्राम का विशेष स्थान है। ध्यान में तो मन की चंचलता को वश में करने की साधना की जाती है। अध्यात्म यह सिखाता है कि बाहरी गति कम होने पर ही आंतरिक यात्रा संभव है।

रुकने का उद्देश्य रुक जाना नहीं, बेहतर ढंग से आगे बढ़ना है। जैसे तीर धनुष को पीछे खींचे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे ही जीवन में पीछे हटना कभी - कभी आगे बढ़ने की तैयारी होती है।विध्वंस में सृजन का बीज छिपा रहता है।

आज की युवा पीढ़ी तत्काल सफलता चाहती है। तुरंत पहचान एवं तुरंत परिणाम आज की पीढ़ी की चाहत है। धैर्य का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ठहराव हमें धैर्यवान बनाता है,जो सफलता का अनिवार्य तत्व है। जीवन में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन बीच – बीच में ठहरना भी कम महत्पूर्ण नहीं है। रुकना हमें संतुलन सिखाता है- कार्य और विश्राम, महत्वाकांक्षा और संतोष, गति और ठहराव के बीच । रुकना जीवन का विराम नहीं, उसका विस्तार है। जो व्यक्ति बिना रुके दौड़ता है, वह भले ही आगे निकल जाए, लेकिन जीवन का आनंद पीछे छोड़ देता है। और जो समय - समय पर रुककर देखता, समझता और सोचता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है।

इसलिए, जीवन की इस भागती दौड़ में कभी - कभी रुकें। सांस लें, पीछे देखें, स्वयं को समझें और फिर नई ऊर्जा, नई दिशा और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि ठहराव ही सही गति की पहचान है।

शरीर को निरंतर चलाने के लिए मन का ठहराव जरूरी है। शरीर कभी नहीं ठहरता। यह सोते-जागते और आराम की अवस्था में भी गतिशील रहता है। है। जब मन तेज या गलत दिशा में भागता है, उसे नियंत्रित करना है। उसको सही दिशा में ले जाने के लिए उसको रोकना अनिवार्य है।

जब मन रुक जाता है, तो वह पुनर्निर्माण में सहायक होता है। उपयोगी सृजन का कारण बनता है। भौतिक शरीर अथवा स्थूल शरीर को निरंतर चलाने के लिए कारण-शरीर अर्थात मन का ठहराव जरूरी है। जब मन तेज भागता है या गलत दिशा में दौड़ता है, तो ठहराव की जरूरत होती है। नकारात्मक मन शरीर की गति को बाधित करता है। अनेक रोगों से भर देता है। सकारात्मक मन शरीर का पोषण करता है। उसकी रोगों से रक्षा कर आरोग्य प्रदान करता है। कीचड़युक्त पानी जब स्थिर हो जाता है, तो उसमें घुली मिट्टी नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी ऊपर तैरने लगता है। मन को रोकने पर भी यही होता है। सकारात्मक उपयोगी विचार प्रभावी होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं और जीवन को एक सार्थक गति मिलती है। कार्य करता है हमारा शरीर, लेकिन उसे चलाता है हमारा मस्तिष्क और मस्तिष्क को चलाने वाला है मन। मन की उचित गति के अभाव में न तो मस्तिष्क ही सही कार्य करेगा और न ही शरीर। इसलिए शरीर को सही गति प्रदान के लिए मन को रोकना और उसे सकारात्मकता प्रदान करना अनिवार्य है।

जब बुद्ध और अंगुलिमाल का आमना-सामना हुआ, तो दोनों तरफ से ठहरने की बात होती है। अंगुलिमाल कड़ककर बुद्ध से कहता है, ठहर जा। बुद्ध अत्यंत शांत भाव से कहते हैं, मैं तो ठहर गया हूं, पर तू कब ठहरेगा? एक आश्चर्य घटित होता है। बुद्ध की शांत मुद्रा सारे परिवेश को शांत-स्थिर कर देती है। उस असीम शांति में अंगुलिमाल भी खो जाता है। वह ठहर जाता है और दस्युवृत्ति त्यागकर बुद्ध की शरण में आ जाता है।

शरीर और मन की गति में अंतर होना ही सब प्रकार की समस्याओं का मूल है। शरीर और मन की गति में सामंजस्य होना अनिवार्य है। रेलगाड़ी के डिब्बे तभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं, जब वे इंजन के साथ-साथ चलते हैं। इंजन और डिब्बों की गति समान होना तथा उनमें एक लय होना जरूरी है। इसी प्रकार शरीर और मन में भी संतुलन और लयात्मकता होना अनिवार्य है। मन भागा जा रहा है, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इंजन भागा जा रहा है पर उसकी गति इतनी तेज है कि डिब्बे या तो उछल रहे हैं और पटरी से उतरने की अवस्था आने वाली है या उनके बीच की कड़ी टूटने वाली है। इंजन की गति को नियंत्रित कर इंजन और डिब्बों के बीच की कड़ी को टूटने से बचाना है।

डिब्बे ही नहीं, उनमें बैठे यात्री भी इस गति से प्रभावित होते हैं। क्या तेज गति से दौड़ते इंजन वाली रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे यात्री सुरक्षित रह सकते हैं? शायद नहीं।

जीवन में भाग-दौड़ का एक ही उद्देश्य है-आनंद की प्राप्ति, लेकिन जितना हम भाग-दौड़ करते हैं, आनंद से दूर होते चले जाते हैं। आनंद के लिए जीवन की गति तथा विचारों के प्रवाह को नियंत्रित कर उन्हें संतुलित करना जरूरी है। यही आध्यात्मिकता हमें सहज होना सिखाती है। हम सहज होकर अपने वास्तविक स्व अर्थात चेतना से जुड़ते हैं। आत्मा में स्थित हो पाते हैं। यही वास्तविक आनंद अथवा परमानंद है।

ज़रूरी है कुछ पल ठहर जाना, क्योंकि ठहराव उन प्रश्नों का हल है,जिन्हें हम स्वयं में खोजते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ठहरने पर सब कुछ बिखर जाएगा ,किंतु ठहराव तो बिखरे हुए सहेजने एवं समेटने का उद्यम है।

जीवन की यात्रा में ठरहने एवं रूकने पर प्रश्न चिह्न लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है,लेकिन इससे घबराना नहीं है। आप यह समझें कि आप इस दुनिया में अद्वितीय हैं।यह जुनून होना चाहिए। चाहे तथ्य कुछ भी हों ,आप नहीं मानें कि आप औसत या साधारण हैं। आप अनोखे एवं लीक से हटकर अद्वितीय इंसान हैं। न इतिहास में एवं न भविष्य में आप जैसा होगा। कभी कभी आपको लग सकता है कि इस दुनिया को आपकी जरूरत नहीं है,लेकिन है। ईश्वर ने आपको अद्वितीय एवं असाधारण बनाया है। कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है,क्योंकि इसे भरना सिर्फ आपका काम है। आप जहां भी जाएं अपनी थोड़ी सी चमक छोड़कर दुनिया को रोशन कर सकते हैं। कई लोग आपकी ओर मुखातिब हैं। हो सकता है आप उनकी प्रार्थना को पूरा करने वाले हों, आप किसी की समस्या का समाधान हों, किसी के प्रश्न का उत्तर हों, आप उस कहानी को जिएं ,जो कोई और नहीं जी सकता है – अपने अनूठे जीवन की कहानी।

आज हर तरह की सूचनाओं तक सबकी पहुँच है। साधन एवं सुविधाएं भी भरपूर उपलब्ध है, अवसर कई गुणा बढ़ गए हैं। कमी है केवल टिक कर रह पाने की। सर्वविध सूचना सार्वभौमिक हैं। हमारे पास वैसी भी सूचनाएं आती हैं,जो प्रत्यक्षत: हमसे सम्बद्ध नहीं रहता है,किंतु हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। आज हमारे पास लगातार सूचना आ रही है। इसका कोई ओर छोर नहीं है। हम इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर अगले क्षण किसी और विषय में उलझ जाते हैं। यह निरंतर परिवर्तन मन को स्थिर नहीं होने देता है। इससे मानसिक शक्ति क्षीण होती है। यह सूचना की अधिकता नहीं बल्कि मन की दिशा खोने की भी स्थिति है। इस समय एक विचित्र विडम्बना है कि पचाने की क्षमता कम होती जा रही है। भोजन ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है , बल्कि उसे पचाना एवं उसे आत्मसात् करना भी अधिक महत्वपूर्ण है।

जीवन की यात्रा में बीच में ठहरें । ठहरकर नई ऊर्जा से आगे मंजिल की तरफ बढ़े । सच यह है कि बिना टिके आप आगे नहीं बढ़ सकते। गहराई हमेशा समय मांगती है। मन में अनपेक्षित सूचनाओं का भंडार हो जाने पर बोझिल हो जाता है। मोबाइल हैंग न हो जाए, इसके लिए बीच – बीच में सामग्री को डिलीट करना पड़ना है, उसी प्रकार ठहर कर अवांछनीय सूचनाओं को मन से हटाना पड़ता है।

आज दुनिया में ठहराव की जरूरत है। आज डिजिटल की दुनिया में कुछ पल निकालिए और अपनी रचनात्मकता का विस्तार कीजिए ताकि आप सृजन की वास्तविक खुशी को अपने अंदर महसूस कर सकें।

कोशिश करनी चाहिए ,किंतु जबरिया कोशिश से बचना चाहिए । सच्चाई यह है कि जब हम सहज कोशिश करते हैं, बेहतरीन कोशिश करते हैं। गलतियां कम होती हैं तथा मन शांत रहता है। सहज स्थिति में कार्य करना महत्वपूर्ण है । सहज स्थिति वह है जब आप किसी कार्य में इतने डूब जाते हैं कि समय,थकान या अपने आसपास के वातावरण का होश नहीं रहता है, तब वह काम प्रयासहीन लगने लगता है। ऐसी स्थिति के लिए जीवन में विश्राम व ठहराव आवश्यक हैं,जो जीवन को गति प्रदान करते हैं।

चरैवेति चरैवेति हमारा मूल मंत्र है, पर 'जरा देर ठहरो एवं रूक जाना नहीं कहीं हार के' भी उसी का भी भाग है।

आप जिस तरह बोलते हैं , बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए । भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए ।

महावीर प्रसाद द्विवेदी

काव्यांगन

अमित कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक
एसएमई एवं कृषि केंद्र, भागलपुर

माटी

ऐ माटी तेरा अमित कर्ज है,
उसे चुकाना मेरा फर्ज है

तू खिलाती है तू पिलाती है, तेरी गोद में सोना है।
एक माई ने जन्म दिया,तू दूसरी माई,क्या खोना है
बिन तेरे जीवन कहाँ, बिन तेरे ये जहां सूना है।
यह जिंदगी तेरी ,तू है तो फिर बात का रोना है।

तू कितनी न्यारी है,पीड़ा में रहकर भी प्यार लुटाती है
दर्द झेलती है,पर अंदर ही अंदर पी जाती है।
फिर भी कुछ नहीं बताती नहीं,
तेरी खामोशी हमें रूलाती है

ऐ माटी तेरा अमित कर्ज है,
उसे चुकाना मेरा फर्ज है।

तू विशाल है तू महाकाल है, तू जननी तू करूणामयी है
जब तू टूटेगी ,जब तू बरसेगी रूप तेरा विनाशकारी भी है।

माटी है तू,जब चाहे सबको माटी माटी कर सकती है
तू है तो हम हैं,हम हैं तो जगत है,जगत सब तेरा है।

साजन कुमार साह
प्रबंधक
ताड़र शाखा

पिता पुत्र का रिश्ता

पिता पुत्र का रिश्ता भी कमाल का होता है
पलता है मां की कोख में मगर पिता उसका ढ़ाल होता है।
पिता पुत्र का रिश्ता भी कमाल का होता है।

पूरी करता है ,ख्वाहिशें सारी, भले पिता का खस्ता हाल होता है
सोता है मां की गोद में पर पिता उसका ढ़ाल होता है
पिता पुत्र का रिश्ता भी कमाल का होता है।

एक कंधे पर पुत्र का बस्ता दूसरे पर घर का सामान होता है
जीवन में खुश रहे पुत्र ,यही पिता का अरमान होता है।
पिता पुत्र का रिश्ता भी कमाल का होता है।

जीवन की सांझ में मिले पुत्र का सहारा ,पिता का अरमान होता है
निकलूं अंतिम सफर में पुत्र के कंधों पर ,इसी पर पिता का ध्यान रखता है।
पिता पुत्र का रिश्ता भी कमाल का होता है।

काव्यांगन

अमर सेन कुमार
प्रबंधक (सुरक्षा)
अंचल कार्यालय,भागलपुर

जेन जेड का जन्म हुआ है वाई- फाई के इस दौर में,
रोटी से अधिक रुचि है रील्स के शोर में।
स्लिप साइकल भले अस्त-व्यस्त हो जाए,
पर स्क्रीन टाइम पर गर्व हर ओर में।

"बर्न आउट" कहकर दफ़्तर से दूरी बना लेते हैं।
किन्तु रात दो बजे तक डिस्कोर्ड पर समय बिताते हैं।

मेंटल हेल्थ पर गंभीर विमर्श अवश्य करते हैं,
पर नोटिफिकेशन्स बंद करना अनुचित मानते हैं।

क्लाइमेट चेंज पर जागरूकता की स्टोरी सजाते हैं,
और अगले ही दिन अमेजन से एयर फ्रायर मँगवाते हैं।

कैप्टेलिज्म की आलोचना ऑनलाइन मंचों पर करते हैं,
किन्तु स्नीकर ड्रॉप हेतु लंबी कतारों में खड़े मिलते हैं।

ऑथेंटिसिटी का संदेश सबसे ऊँचा बताते हैं,
पर फिल्टर बिना सेल्फी साझा करने से नहीं कतराते हैं।

"डेड जोक्स" को " सो क्रिंज " कहकर उपहास उड़ाते हैं,
और स्वयं 15 सेकंड के मेमे हज़ारों बनाते हैं।

न पहले जैसी प्रतिरोध की ऊर्जा, न वैसी क्रांति की धारा,
बस बायो में लिखा मिलता है- "सेल्फ मेड" और "नो इलूशन" सारा।

इतने "अवेक" हैं कि नींद उनसे दूर हो गई,
इतने "वोक" हैं कि सहज हँसी भी कहीं खो गई।

****

****

मिट्टी के गौरव

रामधारी सिंह दिनकर

(23 सितंबर 1908 – 24 अप्रैल 1974)

रामधारी सिंह 'दिनकर' हिंदी के सुविख्यात कवि , लेखक व निबन्धकार के साथ – साथ महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं।

दिनकर' जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया गाँव में हुआ था। उनका जीवन काफी संघर्षशील रहा है। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरूआत की एवं सृजनात्मक प्रतिभा एवं राष्ट्रीय चेतना के कारण उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। उनकी साहित्य साधना काफी पहले आरंभ हो चुकी थी। वे प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग एवं जन साधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। लोक मंगल के प्रति प्रतिबद्धता के कारण सरकारी सेवाओं में रहते हुए भी इन्होंने राष्ट्रीय चेतनाओं से ओतप्रोत रचनाओं का सृजन किया।

साहित्य के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। उनका प्रथम कविता संग्रह 'विजय विकल्प' 1928 में प्रकाशित हुआ था। उनकी लगभग 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं,जिसमें रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार,रसवन्ती, कुरूक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा , नीम के पत्ते, बापू , संस्कृति के चार अध्याय , दिनकर की डायरी आदि विख्यात हैं।

वे हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के उन्नायक कवि के रूप में समादृत हैं। उन्होंने सामाजिक - आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएँ वीर रस से ओतप्रोत है। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है।

ओज एवं क्रांति का शंखनाद करने वाले कवि दिनकर के काव्यों में मानवीय प्रेम एवं श्रृंगार की भी अभिव्यक्ति हुई है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और सम्बन्धों के इर्द-गिर्द घूमती है। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रान्ति की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है।

संस्कृति के चार अध्याय में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है। क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी, हमारी सोच एक जैसी है। साहित्य के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। उनकी रचना 'कुरुक्षेत्र' के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तरप्रदेश सरकार तथा भारत सरकार से सम्मान मिला। 'संस्कृति के चार अध्याय' के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। 1972 ई. में काव्य रचना 'उर्वशी' के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया।

****

**********शेषांश पृष्ठ सं. 11 पर **********

राजभाषा जागरूकता

1. राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है ?

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक रुप से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका 'राजभाषा भारती' है।

2. क्या 'क' क्षेत्र में रबड़ की मोहर केवल हिंदी में हो सकती है ?

नहीं, 'क' क्षेत्र में भी रबड़ की मोहर द्विभाषी होगी।

3. राजभाषा नियम ,1976 (यथासंशोधित) का नियम 6 क्या है ?

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएं,निष्पादित किए जाएं और जारी किए जाएं।

4. किस भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ?

तमिल को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।

5. भागलपुर अंचल भाषायी वर्गीकरण की दृष्टि से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ?

भागलपुर अंचल भाषायी वर्गीकरण की दृष्टि से 'क' क्षेत्र में आता है।

6. 'क' क्षेत्र में बैंक के साइनबोर्ड में भाषाओं का क्रम क्या होगा ?

'क' क्षेत्र में बैंक के साइनबोर्ड क्रमश : हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे।

7. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?

हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है ।

8. क्या 'क' क्षेत्र में कार्यालय आदेश केवल हिंदी में जारी किया जा सकता है ?

नहीं, 'क' क्षेत्र में भी कार्यालय आदेश द्विभाषी जारी करना अनिवार्य है।

9. राजभाषा नियम ,1976 (यथा संशोधित 1987) का नियम 7 क्या है ?

कोई भी आवेदन , अपील या अभ्यावेदन जब भी हिंदी में किया जाए या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए जाएं तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए ।

10. राजभाषा अधिनियम,1963 (यथासंशोधित 1967) में कुल कितनी धाराएं हैं ?

राजभाषा अधिनियम,1963 (यथा संशोधित 1967) में कुल 9 धाराएं हैं।

11. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?

विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।

12. अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है।

13. राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ ?

राजभाषा संकल्प 1968 ई. में पारित हुआ।

14. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं ?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।

15. भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है ?

11

****

राजभाषा जागरूकता

भारत की शास्त्रीय भाषाएं

वर्तमान समय में भारत में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। विभिन्न समयों में अलग अलग भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है । इसके विवरण निम्नलिखित हैं -

क्रमांक	भाषा	वर्ष
1	तमिल	2004 में
2	संस्कृत	2005 में
3	कन्नड़	2008 में
4	तेलुगु	2008 में
5	मलयालम	2013 में
6	ओड़िया	2014 में
7	बंगाली	2024 में
8	असमिया	2024 में
9	मराठी	2024 में
10	पालि	2024 में
11	प्राकृत	2024 में

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा पुस्तिका 2026' से साभार

****
****

राजभाषा नियम,1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है।

वे उच्च न्यायालय जिनकी कार्यवाहियों एवं निर्णयों अथवा आदेशों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है -

वे उच्च न्यायालय जिनकी कार्यवाहियों एवं निर्णयों अथवा आदेशों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है -

राजस्थान (1950)
उत्तर प्रदेश (1969)
मध्य प्रदेश (1971)
बिहार (1976)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा पुस्तिका 2026' से साभार

वार्षिक कार्यक्रम : हिंदी पत्राचार

'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र	100 %
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र	100 %
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र	70 %

श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाली शाखाएं : 31.03.2026

व्यवसाय के 9 मुख्य पैरामीटर के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने वाली शाखाएं

1	शंभुगंज
2	प्यालापुर
3	धनौरा
4	तिनटंगा करारी

व्यवसाय के 8 मुख्य पैरामीटर के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने वाली शाखाएं

1	बाराहाट ईशीपुर
2	विजयहाट
3	कजरैली
4	ढ़ोलबज्जा बाजार
5	किशुनदासपुर

व्यवसाय के 7 मुख्य पैरामीटर के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने वाली शाखाएं

1	नारायणपुर
2	बेलहर
3	खेसर

व्यवसाय के 6 मुख्य मानदंडों के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने वाली शाखाएं

1	कसबा
2	सजौर
3	भीतिया
4	भनरा
5	बांका
6	नवगछिया

विविध गतिविधियां

आदरणीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री विजय कुमार निवृत्ति कांबले का 17 एवं 18 दिसंबर 2025 को भागलपुर दौरा : इस अवसर पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों की कुछ झलकियां

विविध गतिविधियां : स्थापना दिवस समारोह

वृक्षारोपण करते हुए अंचल प्रमुख श्री राजकुमार, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री राजु मुलचंदजी तुगनायक एवं उप अंचल प्रमुख श्री अमरजीत सिंह

स्थापना दिवस के अवसर पर धोरैया शाखा में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का एक दृश्य

केक काटकर स्थापना दिवस का जश्न मनाते हुए अंचल प्रमुख श्री राजकुमार एवं अंचल कार्यालय,भागलपुर के सभी स्टाफ सदस्य

स्थापना दिवस के अवसर पर धोरैया शाखा में आयोजित रक्तदान शिविर का एक दृश्य

रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय भागलपुर में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान अपनी चित्र कलाओं के साथ बच्चे एवं यूको बैंक के स्टाफ सदस्यगण

स्थापना दिवस के अवसर पर तिलकामांझी शाखा में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की एक झलक

विविध राजभाषा गतिविधियां

17 मार्च 2026 को स्नातकोत्तर हिंदी विभाग , ति.मा. भागलपुर विश्वविद्यालय,भागलपुर में आयोजित यूको जी. डी. बिड़ला स्मति व्याख्यानमाला एवं यूको राजभाषा सम्मान समारोह की एक झलक

एमएसएमई ,कृषि ,रिटेल एवं संसाधन कार्निवाल के दौरान ऋण संस्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए श्री देवाशीष नायक,उप महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय

विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अंचल कार्यालय ,भागलपुर में आयोजित वक्तृव्य प्रतियोगिता की एक झलक

09 मार्च 2026 को अंचल कार्यालय, भागलपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का एक दृश्य

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर अंचल प्रमुख श्री राजकुमार की अध्यक्षता में अंचल कार्यालय,भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम की एक झलक

यूको आर सेटी, बांका द्वारा स्वच्छता जागरूकता पखवाड़ा के दौरान आयोजित कार्यक्रम

पत्रं– पुष्पम्

यूको अंगिका का नवीनतम अप्रैल - सितंबर 25 अंक पाकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। इस पत्रिका के अवलोकनोपरांत यह पाया कि प्रकाशित आलेख सारगर्भित एवं प्रासंगिक हैं। उक्त पत्रिका में सूक्ष्म, लघु . मध्यम उद्यम क्षेत्र -अर्थव्यवस्था की रीढ़, बैंकिंग में जमा पोर्टफोलियो की महत्ता , सतर्कता : बैंकिंग की नींव, बैंक की शाखाओं में नकदी प्रबंधन - बिहार के परिप्रेक्ष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव संसाधन : सहयोग या प्रतिस्पर्धा ? वैश्वीकरण में भारतीय भाषाओं की बढ़ती भूमिका, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, डिजिटल योजनाएं जैसे आलेख जानकारीपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक हैं। ऐसे आलेख पत्रिका के स्तर में चार चाँद लगाते हैं।

इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए संपादकीय टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन।

आपकी बहुमूल्य पत्रिका के अगले अंक की प्रतीक्षा में

डॉ सुनील कुमार
मुख्य प्रबंधक - राजभाषा
प्रधान कार्यालय कोलकाता

****

'यूको अंगिका' के अप्रैल- सितंबर 2025 अंक में विभिन्न आलेखों का समावेश कर इसे ज्ञानवर्धक स्वरूप प्रदान किया है। भाषा से संबंधित आलेख हमें मातृभाषा पर गर्व करने के साथ - साथ अन्य भाषाओं का भी सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। नियमित प्रकाशन इस पत्रिका की विशिष्टता है। संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं एक और बेहतर अंक के लिए अशेष शुभकामनाएं।

अभिषेक कुमार
प्रबंधक
एसएमई एवं कृषि हब ,भागलपुर

यूको अंगिका' के इस अंक में प्रस्तुत रचनात्मक विषय अत्यंत सारगर्भित एवं प्रेरणादायी हैं। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की भूमिका, बैंकिंग में जमा पोर्टफोलियो का महत्व, बैंकिंग में सतर्कता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बैंक की शाखा में नकदी प्रबंधन (बिहार के परिप्रेक्ष्य मे) भारतीय भाषाओं का वैश्वीकरण में योगदान तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ समसामयिक और उपयोगी हैं। करनाल से मसूरी की यात्रा, जीवन एक उत्सव, तथा राजभाषा एवं अन्य गतिविधियों की झलक पाठकों को सांस्कृतिक एवं मानवीय दृष्टि से समृद्ध करती है।

पत्रिका के कलेवर में बिहार की लोककला मंजूषा को शामिल करना एक अत्यंत सराहनीय एवं नवाचारी पहल है, जो पत्रिका की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाती है। पत्रिका की साज सज्जा उत्कृष्ट है, जो इसे आकर्षक बनाती है। समग्र रूप से यह अंक विचार, कला और रचनात्मक शक्ति का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण है।

अमर सेन कुमार
अंचल सुरक्षा अधिकारी
अंचल कार्यालय भागलपुर

.....

यूको अंगिका का अप्रैल - सितंबर 25 अंक पढ़कर मुझे अतीव प्रसन्नता हुई। इस अंक में विषयों की विविधता व रोचकता है। विभिन्न आलेखों एवं कविताओं आदि का सुंदर संयोजन पत्रिका की खास विशिष्टता है। हिंदी से जुड़े आलेख हमें अपनी भाषा के प्रति प्रेम एवं जीवन के कार्यक्षेत्र में उसका उपयोग करने का संदेश देते हैं। बीच - बीच में राजभाषा नीति से संबंधित विषयों की जानकारी हमें जागरूक करती हैं। संपूर्ण टीम को हार्दिक बधाई। आगामी अंक की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी।

अमित कुमार शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक
घोघा शाखा

यूको बैंक

यूको बैंक

18.12.2025 को आयोजित एक कार्यक्रम में 'यूको अंगिका' वर्ष 2025-26 के प्रथम अंक का लोकार्पण करते हुए आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री विजय कुमार निवृत्ति कांबले, भागलपुर के डीडीसी श्री प्रदीप सिंह , अंचल प्रमुख श्री राजकुमार एवं अन्य गणमान्य महानुभाव

क्षेत्रीय राजभाषा प्रथम पुरस्कार के साथ उप महाप्रबंधक श्री देवाशीष नायक, अंचल प्रमुख श्री राजकुमार एवं अंचल कार्यालय के समस्त स्टाफ सदस्य

यूको बैंक

यूको बैंक

18.12.2025 को आयोजित स्वयं सहायता समूह मेगा ऋण वितरण समारोह में संस्वीकृत रु.108 करोड़ का एस एच जी ऋण का चेक जीविका को प्रदान करते हुए आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले एवं अन्य गणमान्य महानुभाव

17.12.2025 को आयोजित शाखा प्रमुखों की बैठक में आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करती हुई जगदीशपुर शाखा की वरिष्ठ प्रबंधक श्रीमती रेशमी कुमारी

18 दिसंबर 2025 को सबौर शाखा के नये भवन का लोकार्पण करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले एवं अंचल प्रमुख श्री राजकुमार